अध्याय –5

गरीबों के लिए अधिकारों का महत्व

गरीबी का बने रहना इस बात का संकेत है कि इस व्यापक मानवाधिकार ढांचे के बावजूद, राष्ट्रमंडल के सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिलाने के लिए अभी बहुत प्रयास करना है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अभी पर्याप्त मज़बूत ढांचा उपलब्ध नहीं है, और न ही सभी कर्त्तव्यधारकों ने पर्याप्त प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। हालांकि अधिकारों की बौद्धिक और व्यावहारिक व्याख्या काफी व्यापक रूप में की जा चुकी है, किन्तु उनके विकास के लिए तालमेल की एक बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है, जो अभी जारी है। शायद इससे भी महत्वपूर्ण यह होगा कि अधिकारों के प्रति एक ऐसी वचनबद्धता व्यक्त की जाये, जो आडम्बर से परे हो। अधिकतर देशों में समाज और सरकार के हर वर्ग को मानवाधिकारों के तंत्र, संस्थाओं और धारणाओं तथा एक ऐसे संकल्प से ओतप्रोत नहीं किया गया है कि मानवाधिकारों को सामान्य तौर हासिल किया जा सके और विशेष प्रयास न करने पड़े।

ढांचा मज़बूत बनाना

आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता (लागू किए जाने की स्थिति) में सुधार के लिए उनकी भाषा और विषयवस्तु के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की भाषा का स्पष्टीकरण

गरीबी के खिलाफ संघर्ष मे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को इस्तेमाल करने में एक बड़ी बाधा यह तथ्य है कि उन्हें जिस भाषा में निरूपित किया गया है वह ऐसी है कि उनसे सही दायित्वों का पता लगाना कठिन हो जाता है। क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई. सी. ई. एस. सी. आर.) में सदस्य राष्ट्रों ने जो संकल्प व्यक्त किया है कि वे

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

वर्तमान प्रतिज्ञा में स्वीकार किए गए अधिकारों को पूरी तरह अमल में लाने का लक्ष्य निरन्तर हासिल करने के लिए सभी प्रकार के उचित तरीके अपनाते हुए अपने अधिकतम उपलब्ध संसाधनों से राष्ट्र के स्तर पर अकेले और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं सहयोग, खासकर आर्थिक और तकनीकी सहयोग से, उपाय करेगें" [285] को कुछ राष्ट्रीय अदालतों ने इस रूप में समझा है कि प्रसंविदा उनके देश में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है, बल्कि उसके लिए राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। अतः यह ज़रूरी है कि इस दलील के विभिन्न पहलुओं को अलग–अलग समझा जाए।

इस प्रावधान को – कि इन अधिकारों को उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य के संसाधनों पर निर्भर होगा – कई विशेषज्ञ तथा सरकारों ने अधिकारों के प्रति राज्य के दायित्व को संसाधनों की सीमा से बांधे रखने के लिए इस्तेमाल किया है। यानि कोई भी राज्य किसी अधिकार को उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी या अभाव का कारण देकर अपने दायित्वों से छुटकारा पा सकता है। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (CESCR) ने कहा है कि संसाधन हों या न हों, प्रत्येक अधिकार की एक न्यूनतम स्तर तक प्राप्ति सुनिश्चित करना प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का न्यूनतम बुनियादी दायित्व हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी राष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग आवश्यक भोजनसामग्री, आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, मूलभूत आश्रय और आवास, या सर्वाधिक बुनियादी रूप में शिक्षा से वंचित हैं, तो वह राष्ट्र प्रथम दृष्टि में समझौते के तहत दायित्वों का निर्वाह करने में विफल माना जायेगा।[286] प्रतिष्ठित न्यायविदों के एक समूह की राय है कि आर्थिक विकास का स्तर हो या न हो, यह सुनिश्चित करना राष्ट्र का दायित्व है कि सभी के न्यूनतम 'भरण–पोषण अधिकारों (subsistence rights) का सम्मान हो और यह भी कि उपलब्ध संसाधनों में प्रसंविदा में वर्णित अधिकारों पर अमल को समुचित प्राथमिकता दी जाये।[287] अगर किसी राष्ट्र में लोग भूखे मर रहे हैं और वह हथियारों पर भारी मात्रा में धन खर्च कर रहा है, तो उसे दायित्व पूरा करने में विफल कहा जायेगा।

संघर्ष या सावधानी

दुनिया के सैन्य खर्च में 1998 के बाद से बढ़ोतरी हो रही है और सबसे तीव्र वृद्धि अफ्रीका और दक्षिण एशिया में दर्ज हुई है। इन दोनों महाद्वीपों में न केवल राष्ट्रमंडल के अधिकांश सदस्य देश स्थित हैं, बल्कि संगठन के सबसे गरीब देश भी हैं। नाइजीरिया, जहां 90 प्रतिशत आबादी की पहुंच अनिवार्य दवाओं तक नही है, ने स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च 1998 में घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत कर दिया, जो 1990 में 1.0 प्रतिशत था। इसके विपरीत वर्ष 2000 में नाइजीरिया का सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत था, जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दुगना था। '

भारत, जहां केवल 31 प्रतिशत लोगों को उपयुक्त सफाई सुविधाएं और 35 प्रतिशत लोगों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं, का सैन्य खर्च 1999 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत (464 अरब रुपये) हो गया, जो 1998 में 2.2 प्रतिशत (387 अरब रुपये) था।[288]

अक्सर यह माना जाता है कि आर्थिक विकास और संसाधनों के अभाव में आर्थिक और सामजिक अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। अनेक राष्ट्र जो संसाधनों को भली–भांति काम में लाने के इच्छुक नहीं होते, इस धारणा की आड़ लेते हैं। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी से इन अधिकारों को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु संसाधनों और अधिकारों के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे अमीर राष्ट्रमंडल देशों में भी बड़ी संख्या में गरीबी से ग्रस्त बस्तियां हैं। दूसरी तरफ तुलनात्मक दृष्टि से निर्धन माने जाने वाले श्रीलंका और फिजी जैसे देशों और भारत में केरल जैसे राज्य ने आर्थिक और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सराहनीय सफलता हासिल की है। हमें यह याद रखना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का संबंध भिक्षा या अनुग्रहपूर्ण दान से नहीं है, बल्कि उन नीतियों और संस्थानों से है जो लोगों को उनके स्वयं के प्रयासों से जीविका अर्जित करने में सक्षम बना सकें। अतः हम कह सकते हैं कि उपलब्ध संसाधनों के अभाव के आधार पर अधिकार प्रदान न करने की दलील न्यायोचित नहीं मानी जा सकती।

प्रायः यह दलील दी जाती है कि आई सी ई एस सी आर में अधिकारों को क्रमिक ढंग से लागू करने का प्रावधान इस बात का साक्ष्य है कि उनका स्वरूप बाध्यकारी नहीं हैं, किन्तु लिम्बर्ग में हुई न्यायविदों की बैठक में स्पष्ट किया गया कि यह प्रावधान किसी राष्ट्र से उम्मीद करता है कि वह अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में तेज़ी से बढ़े, और यह भी कि यह प्रावधान किसी राष्ट्र को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह इन अधिकारों को पूर्ण रूप में लागू करने के प्रयास अनिश्चित काल तक स्थगित करता रहे। अधिकार उपलब्ध कराने के क्रमिक प्रयास का दायित्व संसाधनो में वृद्धि पर निर्भर नहीं है, बल्कि, इस आवश्यकता को उजागर करता है कि जो उपलब्ध है, उसका

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

उपयोग कारगर ढंग से किया जाये।[289] यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ अधिकार निरन्तर प्रयास या ''संसाधनों की उपलब्धता'' पर आधारित नहीं है, बल्कि उन्हें तत्काल लागू किया जाना है, जैसे भेदभाव से मुक्ति का अधिकार, बाल अधिकार समझौते (सी आर सी) में वर्णित बच्चों के अधिकार और राष्ट्रों के संविधान में वर्णित कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार।

विषयवस्तु का विस्तार

इस वैचारिक विरोध से ऊपर उठने के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की विषयवस्तु को ठोस बनाने की दिशा में काफी कुछ करना होगा ताकि अधिकारों को मूर्त रूप दिया जा सके और इस तरह उन्हें आसानी से लागू किया जा सके। संकेतकों से इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि अधिकार किस हद तक लागू किए जा रहे हैं और उनका कितना लाभ उठाया जा रहा है। संकेतक अधिकारों को साकार बना सकते हैं और उनकी परिभाषा को स्पष्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वे स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं कि साक्षरता, पोषण या सुरक्षा का स्वीकार्य स्तर क्या हो। संकेतकों या मापदंडों का इस्तेमाल मानवाधिकारों में परम्परागत रूप में नहीं किया गया है – इसकी आंशिक वजह यह है कि मानवाधिकारों का अध्ययन अधिकतर वकीलों के अधिकार क्षेत्र में रहा है, जो अधिकारों की प्राप्ति का सांख्यिकीय मूल्यांकन करने की बजाय मानदंड विकसित करने या मामले से सम्बद्ध कानून पर ध्यान देने के अधिक अभ्यस्त होते हैं, और दूसरी वजह यह है कि अभी तक उन नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया गया है, जिनका सांख्यिकीय मूल्यांकन आसानी से नहीं किया जा सकता। मानवाधिकारों और विकास नीतियों के बीच हो रहे संवाद ने संकेतकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने से उनका महत्व उजागर हुआ है। विकास के प्रति अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण में संकेतक ठोस पैमाना प्रदान करते हैं, जबकि मानवाधिकारों के सिद्धान्त नीतियां बनाने, कार्यान्वयन पद्धतियों के मूल्यांकन और अधिकारों के प्रभाव संबंधी नतीजों का मूल्यांकन करने के साधन उपलब्ध कराने का ढांचा प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दो में संकेतक ठोस आंकड़े प्रदान करते हैं। उनके आधार पर पता चलता है कि अधिकार किस हद तक हासिल किए गए हैं और निष्पक्षता का किस हद तक पालन किया जा रहा है।

विभिन्न अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए किस तरह से संसाधनों का आवंटन होना चाहिए–यह तय करने में आंकड़ों की मदद ली जा सकती है। इनसे इस बात का साक्ष्य उपलब्ध होता है कि किसी राष्ट्र की आबादी में सर्वाधिक उपेक्षित समूह कौन से हैं, साथ ही रचनात्मक कार्य नीतियां अपनाने का दबाव पड़ता है। मानवाधिकार सिद्धान्तों पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करने से नीति निर्माताओं को ऐसा विश्वसनीय ढांचा तैयार करने में मदद मिलती है, जिसके आधार पर अधिकार हासिल किए जा सकें। और किसी खास नीति की प्रभावकारिता का प्रामाणिक मूल्यांकन किया जा सके। इस तरह, वे मानवाधिकारों को हासिल करने के समयबद्ध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं।

सुचारू कार्यान्वयन के लिए भी संकेतक उपयोगी है। ठोस आंकड़े उपलब्ध होने से किसी नीति की खामियों और उसके कार्यान्वयन के कमज़ोर पहलुओं का पता चल जाता है, या किसी अक्षम नीति के अनिश्चित काल तक जारी रहने पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

गरीबी हटाने का लक्ष्य

जहां गरीबी कम करने के लक्ष्य निर्धारित कर भी लिए गए हैं, वे अधिकतर अवास्तविक हैं और कार्ययोजनाओं, बजट या संस्थागत व्यवहार पर आधारित नहीं है। ये तत्व उनकी सफलता या असफलता की कुन्जी हैं। सन् 1995 में कोपनहेगन में 'विश्व सामाजिक सम्मेलन' (World Social Summit) के दौरान सदस्य राष्ट्रों ने गरीबी कम करने के बारे में जो संकल्प व्यक्त किये थे उनकी पांच वर्ष की अवधि की समीक्षा जून 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में की गई। राष्ट्रों ने गरीबी के प्रभाव का आकलन करने, उसे समाप्त अथवा कम करने और योजनाओं पर अमल शुरू करने के लक्ष्य तय किये थे। अधिकतर देशों ने गरीबी के प्रभाव का आकलन करने के प्रयास किये, ताकि छिपी हुई गरीबी को उजागर किया जा सके और उसे दूर करने का लक्ष्य सावधानी पूर्वक बनाया जा सके। गिने–चुने देशों ने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं बनायीं, जबकि गिनती के देशों ने इन उपायों को अपनी सामान्य राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल किया।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

वास्तव में, उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण माध्यम उपलब्ध होते हैं, क्योंकि ठोस सबूतों से साफ पता चलता है कि नतीजों के जरिए किन उपलब्धियों की अपेक्षा की जा सकती है, किसी नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका या नहीं और लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं। उत्तरदायित्व को गहन बनाने, अन्य समुदायों, राष्ट्रों या क्षेत्रों के साथ तुलना करने से स्पष्ट प्रगति–चिन्ह निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर मानवाधिकारों को लागू करने में किसी सरकार की सफलता का पता चलता है।

आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रूपरेखा बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए संकेतकों को अधिक परिष्कृत बनाने की आवश्यकता है। यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट में प्रभावकारी प्रगति चिन्हों की पहचान की गई है, जो विशिष्ट, समयबद्ध और भरोसेमंद हैं। ये चिन्ह "अधिकतर न्यूनतम स्तर पर निर्धारित" नहीं किये गये हैं और उनकी लक्षित तारीख को स्वतंत्र रूप से उनका पुनर्मूल्याकंन किया जा सकता है।[290]

भोजन अधिकारों का खुलासा

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में नई जान डालने से सम्बद्ध इस बहस का विश्लेषण एक खास अधिकार, भोजन के अधिकार, के सन्दर्भ में करना उपयोगी होगा।

आहार का अभाव गरीबी का शायद सर्वाधिक तात्कालिक, स्वाभाविक और सहवर्ती लक्षण है। लेकिन, "आहार आवश्यकताओं" या "भोजन के अधिकार" की धारणा को विकसित रूप से समझने की आवश्यकता है, ताकि यह जाना जा सके कि इसे कैसे बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है।

भोजन का अधिकार आखिर है क्या ? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 2 के अनुसार "भूख से मुक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।" भोजन के अभाव के रुप में भूख एक ऐसी स्थिति है जिसे अवश्य समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इस व्याख्या का अर्थ यह नहीं कि जिन्हें भूख की बेचैनी महसूस नहीं होती उन्हें अच्छा, खासा भोजन प्राप्त होता है। इसलिए आहार की *पर्याप्तता* पर बल दिया जाना चाहिए, जिसका विश्लेषण कई पहलुओं में किया गया है : *भोजन पौष्टिक, सुरक्षित और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य होना चाहिए*। भोजन में व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व होने चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। उदहारण के लिए, एक गर्भवती या शिशु को दूध पिलाने वाली माता की भोजन संबंधी जरूरतें, कठिन शारीरिक श्रम में लगे व्यक्ति से भिन्न होंगी। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन में कोई नुकसानदायक तत्व नहीं होना चाहिए, जैसे विष या हानिकारक बैक्टीरिया। सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्यता का अर्थ है कि भोजन सांस्कृतिक मान्यताओं और वर्जनाओं की दृष्टि से अनुचित न हो।

कई अन्य अधिकारों के समान आहार तक पहुंच एक सतत आवश्यकता है और इसीलिए भोजन की पूर्णता की धारणा में 'खाद्य सुरक्षा' को भी शामिल किया गया है। आहार आसानी से उपलब्ध हो और अधिक खर्चीला न हो तथा खाद्य आपूर्ति स्थायी रूप से हो। आहार की कमी की आशंका या वितरण में संभावित रुकावटों से निबटने के लिए ज़रूरी है कि दीर्घावधि की तथा आपात योजना तैयार की जाये।

दायित्व क्या है? राज्य के तीन दायित्वों अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और हस्तांतरण–को देखते हुए राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह खाद्य पर्याप्तता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। भोजन के अधिकार को पूर्ण रूप से साकार करने का अर्थ है, इस तथ्य को समझना कि भोजन के अभाव का अन्य अधिकारों की प्राप्ति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भोजन का अभाव एक बच्चे को जोखिमपूर्ण और अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है और उसे स्कूल से बाहर तथा निरक्षर रख सकता है। सम्मान के दायित्व के अन्तर्गत शामिल है खाद्य उत्पादन की ज़रूरतों और वास्तविकताओं को *पहचानना* और नतीजतन, *ऐसे कदम न उठाना,* जिससे खाद्य सुरक्षा में कमी आने की आशंका हो। उदाहरण के लिए, सस्ते बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और खाद्य फसलों के मामले में उन नीतियों को त्यागना जिनके कारण खाद्य फसलों की खेती के लिए भूमि की उपलब्धता कम होती है और निर्यात के लिए वैकल्पिक नकदी फसल की खेती को बढ़ावा मिलता है। संरक्षण के लिए *विकृतियों को रोकने* (उदाहरण के लिए, क्षेत्रों के बीच)

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

भोजन का अधिकार लागू किया गया

फिजी में एक कैदी को हिरासत से भाग जाने के लिए छह महीने की कैद की सजा दी गई। अतिरिक्त सजा के रूप में कारागार अधिकारियों ने कारागार अधिनियम के अनुसार उसका खाद्य राशन कम कर दिया। कैदी ने इसे अदालत में चुनौती दी। उसकी अपील की सुनवाई करते समय अदालत ने कहा कि कोई भी ऐसा बरताव या सजा जो व्यक्ति की अन्तर्निहित गरिमा का अतिक्रमण करती हो, संविधान के खिलाफ है। फिजी की अदालतें बिल ऑफ राइट्स की व्याख्या करते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे सकती हैं। भोजन के अधिकार के बारे में आई सी ई एस सी आर के अनुच्छेद 11 का हवाला देते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि "अपीलकर्ता के राशन में की गई कटौती लोगों को समुचित भोजन प्रदान करने की फिजी द्वीप–समूह गणराज्य की शपथ के खिलाफ है।" अदालत ने आगे कहा कि हालांकि इस प्रतिज्ञापत्र के तहत दायित्व का निर्वाह करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, किन्तु कारागार आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें, भोजन को नियंत्रण का साधन बनाया गया, आई सी ई एस सी आर की भावना के खिलाफ है और इस तरह वह कैदी के भोजन के अधिकार का उल्लंघन है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अन्ततः अदालत ने कहा : "भोजन रोज़मर्रा के सम्पोषण के लिए बुनियादी आवश्यकता है। सजा के रूप में कैदी के राशन में कटौती की धारणा सिद्धान्त रूप में अपराध है ?, इसका असर न केवल कैदी के जीवित रहने की क्षमता पर पड़ता है, बल्कि इससे वह राशन के उस हिस्से से वंचित होता है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कटौती की मात्रा का कोई महत्व नहीं हैं। राज्य द्वारा इस तरह के तरीके अपनाना तात्विक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है और इसकी वजह यह है कि इसमें एक गैर–कानूनी व्यवहार के लिए दंड के रूप में जीवन की अनिवार्यता का इस्तेमाल किया गया है। इससे अपीलकर्ता जैसे व्यक्तियों को इस आधार पर कम करके आंका जाता है कि वे कैदी हैं और उन पर प्रतिबंध उचित है। इस धारणा का संक्षिप्त उत्तर यह है कि किसी को कैद में रखे जाने से उसका मानव का दर्जा कम नहीं हो जाता और उसकी जन्मजात गरिमा का अधिकार किसी प्रतिबंध या रूकावट से छीना नहीं जा सकता। ऐसे बरताव को न्यायोचित ठहराना उस युग में लौटना है, जब कैदियों को मानवोचित व्यवहार के योग्य नहीं माना जाता था। अदालत ससम्मान यह मत रखती है कि अधिनियम की धारा 83(1) (a) (iv) अपमानजनक व अमानवीय व्यवहार में फलित होती है और इसलिए संविधान की धारा 25(1) के विपरीत जाती है। अतः उसे रद्द माना जाए।"[291]

और संरक्षण कानून *विकसित करने* की आवश्यकता है, ताकि कमी के समय जमाख़ोर और मुनाफाख़ोर खाद्य सामग्री को दबाकर न बैठ जायें। अधिकार प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि खाद्य संस्कृति के पहलुओं को विकास में *शामिल किया जाये,* (जैसे बड़े पैमाने पर शाकाहारी आबादी को मांसाहार के बदले पौष्टिक तत्वों वाले विकल्पों को *उपलब्ध करवाना,* खाद्य नियंत्रण–तंत्र स्थापित करना और ऐसे ही अन्य उपाय शामिल हैं।

जैसा पहले बताया गया है, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें निरंतर क्रमिक ढंग से हासिल किया जाना चाहिए है। इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य इन अधिकारों को अनिश्चितकाल तक स्थगित रख सकता है या इन्हें हासिल कराने में देरी कर सकता है। यह सही है कि एक राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सभी जरूरतें एक साथ पूरी कर सके, किन्तु उसका यह दायित्व है कि तात्कालिक ज़रूरतों को पहले पूरा करे। इसका यह अर्थ भी है कि तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद राज्य रुक नहीं सकता, दायित्वों को पूरा करने की प्रक्रिया अधिकारों के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण की सतत प्रकिया का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं प्रसंविदा के अनुच्छेद 11(2) के अनुसार राज्यों का यह दायित्व है कि वे उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं में अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करें।

राज्य अपने आहार संबंधी दायित्वों को कैसे यथावत् पूरा करता है, यह उन घटकों पर निर्भर करेगा, जो उसके अपने क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करने में रूकावट डालते हैं। सी ई एस सी आर ने सिफारिश की है कि राष्ट्रों को भोजन के बारे में राष्ट्रीय नीतियां विकसित करनी चाहिए : इनके अंतर्गत संसाधनों और आवश्यकताओं की पहचान, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रगतिचिन्ह तय करना और एक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और उत्तरदायित्व पूर्ण प्रकिया[292] में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल हैं। नीति के अन्तर्गत भेदभाव से बचने की खास जरूरत का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए (खास कर इसे देखते हुए कि कई समुदायों में आहार के मामलों में महिलाओं को कमी का सामना करना पड़ता है)। खाद्यसामग्री की गंभीर कमी की स्थिति में कमज़ोर समूहों और व्यक्तियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विभिन्न निकायों ने राष्ट्रीय संकेतकों की प्रणाली का महत्व स्वीकार किया है, जिसमें पोषण ज़रूरतों और राष्ट्रीय परिस्थितियों

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

भूख के विरूद्ध जागरण : बांगलादेश में भोजन सुरक्षा

13 करोड आबादी वाले बांगलादेश में करीब 50% लोग व्यापक गरीबी के कारण पर्याप्त भोजन भी नहीं जुटा पाते। गरीब परिवारों में गर्भवती व दुग्ध–पान कराने वाली महिलाएँ और बहुत कम आयु वाले बच्चों को कुपोषण का सबसे अधिक खतरा होता है। पाँच वर्ष से कम आयु वाले बांगलादेशी बच्चों में से आधे से भी अधिक न्यूनभार हैं। पाँचवां जन्मदिन मनाने से पहले ही लगभग 20 प्रतिशत बच्चे मर जाते हैं – ऐसे दो–तिहाई मामलों में मौत का कारण कुपोषण है। गरीब परिवारों के कई बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता–पिता उनकी पुस्तकों आदि का खर्च नहीं उठा सकते या बच्चों को रोज़ीरोटी के लिए काम करना पडता हैं। गरीबी इन्हें स्कूल से दूर रखती है तथा कुपोषण के दुष्चक्र में फँसाये रखती है।

सरकार द्वारा 1991 में किए गए अध्ययन से पता चला कि लक्षित ग्राम राशन कार्यक्रम के तहत 6 करोड डॉलर की खाद्य सहायता का 70 प्रतिशत उन लोगों को प्राप्त हुआ जो गरीब नहीं थे। सरकार ने ज़रूरतमंद लोगों तक आहार पहुँचाने के वैकल्पिक मार्ग सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया। इस कार्यदल द्वारा तैयार किए गए 'शिक्षा के लिए आहार कार्यक्रम' (Food for Schooling Programme- एफ एफ एस) का लाभ 20 लाख गरीब परिवारों तक पहुँच रहा है।

एफएफएस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार प्रति माह 15–20 किलो अनाज (मुख्यतः प्रोटीन–युक्त गेहूँ) प्राप्त करने का हकदार है तथा यह मात्रा परिवार में से स्कूल जा रहे बच्चों की संख्या पर आधारित है। अपना हिस्सा पाने के लिए विद्यार्थी की हाज़िरी कम से कम 85 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति प्रधानाचार्य से प्राप्त उनके हाज़िरी के रिकॉर्ड के आधार पर अपेक्षित मासिक अनाज की गणना करती है। यह सूची आगे स्थानीय आपूर्ति अधिकारी को सौंप दी जाती है जो अनाज के वितरण का पर्यवेक्षण भी करता है। प्रत्येक स्कूल का एक नामज़द अनाज डीलर होता है जो सरकार से एफएफएस कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त अनाज का मासिक भंडार प्राप्त करता है। विद्यार्थियों के माता–पिता डीलर से अपना हिस्सा प्रतिमाह एक निश्चित तारीख को प्राप्त करते हैं। प्रायोगिक तौर पर 1993 में चलाया गया एफ एफ एस कार्यक्रम आज बांगलादेश के 21 लाख बच्चों व 27 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों को लाभ पहुँचा रहा है। प्रतिदिन 0.10 डॉलर की लागत वाले इस कार्यक्रम से स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी बढ़ी है तथा बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है।

वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय आहार–नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute) द्वारा किया गया एक मूल्यांकन अध्ययन दर्शाता है कि गैर–एफ एफ एस स्कूलों के 2.5 प्रतिशत की तुलना में एफ एफ एस स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती 35 प्रतिशत तक बढ़ी है। लड़कियों की संख्या में असाधारण रूप से 44 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 1999–2000 के दौरान एफ एफ एस स्कूलों के केवल 6 प्रतिशत विद्यार्थियों ने स्कूल बीच में छोड़ा जबकि गैर–एफ एफ एस स्कूलों में यह मात्रा 15 प्रतिशत थी। एफ एफ एस कार्यक्रम ने गरीब परिवारों को कुछ हद तक आहार सुरक्षा दी है, परंतु समाज के इस वर्ग के लिए पौष्टिकता के स्तर में सुधार के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। योजना की लोकप्रियता से एफ एफ एस स्कूलों में विद्यार्थी–शिक्षक का अनुपात बढ़कर 76:1 हो गया है जबकि गैर–एफ एफ एस में यह 62:1 है। एफ एफ एस स्कूलों में दी जा रही शिक्षा के स्तर में सुधार की काफी गुंजाइश है।

आहार–सुरक्षा के साथ शिक्षा को जोड़ने के प्रयास से बांगलादेश ने एक तीर से दो समस्याओं का समाधान किया है।[293]

के बारे में आंकड़ों पर विचार किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़रूरतों और उपलब्धियों पर सतत निगरानी बनाए रखने की पद्धति के रूप में किया जा सकता है, ताकि राज्य यह जान सके कि वह सही दिशा में उपलब्धियां हासिल कर रहा है या नहीं।

चूंकि आहार एक अधिकार है, अतः यह राज्य के लिए अनिवार्य है कि वह इस बारे में एक नीति और वैधानिक ढांचा कायम करे, जो न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि इस बात की भी पक्की व्यवस्था करे कि सामाजिक, भौगोलिक या अन्य विविध घटकों, जैसे महिलाओं की स्थिति, कृषि सब्सिडी या बौद्धिक सम्पदा कानून की वजह से इस अधिकार का अतिक्रमण न हो।

दायित्व किसका है? "कहने का मतलब यह नहीं कि आहार के अधिकार की परिभाषा में राज्य की सक्रियता के बदले में यह मूल धारणा बने कि लोग अपने आहार की व्यवस्था के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अन्य लोगों का दायित्व तभी शुरू होता है, जब किसी समाज में व्यक्ति, या परिवार अपनी जरूरत पूरी करने में विफल हो। अपने नागरिकों के प्रति प्राथमिक दायित्व राज्य का है। किन्तु एक अंतर्ग्रथित विश्व

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

में अन्य पक्षों की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रों को अन्य देशों और उनके नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए : खाद्य सामग्री को युद्ध के दौरान एक हथियार या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रों को अपने व्यापार और सहायता नीतियों के अन्य स्थानों पर आहार के अधिकार पर संभावित प्रभाव के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्हें जहां कहीं ज़रूरी हो खाद्य और अन्य सम्बद्ध सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा विदेशी ऋणों से राहत दिलानेवाले कार्यों का एक लक्ष्य आहार के अधिकार की पूर्ति बनना चाहिए।

जल के अधिकार का खुलासा

हमारे ग्रह का 70% हिस्सा जलावृत्त है फिर भी विश्व के 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को बुनियादी जल आपूर्ति नहीं मिलती। इनमें से अधिकांश विकासशील देशों में रहते हैं तथा असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर होने के कारण बीमारियों से पीड़ित हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समिति (सी.ई.एस.सी.आर.) ने जल को एक सामाजिक व सांस्कृतिक वस्तु माना है न कि केवल आर्थिक वस्तु। यह देखते हुए कि लोगों को आहार व स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की प्राप्ति कराने के लिए पानी की सुलभता अत्यावश्यक है, सदस्य राज्यों को कहा गया है कि कमज़ोर वर्गों, जैसे महिलाओं व बच्चों, छोटे किसानों और जनजाति के लोगों तक पर्याप्त मात्रा में जल पहुँचाने का प्रबंध करें।

प्रसंविदा के अनुच्छेद 11 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) तथा 12 (स्वास्थ्य का अधिकार), जिन पर जल का अधिकार आधारित है, की व्याख्या करते हुए सीईएससीआर ने लोगों की जल संबंधी मूल स्वतंत्रताओं व अधिकारों की पहचान की है।[294] राज्य के सहवर्ती वैधिक कर्त्तव्य होते हैं जिसमें शामिल हैं – प्रत्येक व्यक्ति के जल संबंधी अधिकार का सम्मान, उसकी सुरक्षा, पूर्ति व उसको बढ़ावा देना।

जल के अधिकार के घटक तथा राज्य के प्रमुख दायित्व–

- व्यक्ति एवं घरेलू, दोनों स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग के लिए (जैसे पीना, खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना आदि) पर्याप्त एवं निरन्तर जल–आपूर्ति। जल–आपूर्ति की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा–निर्देशों (20 लीटर प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति[295]) के अनुरूप हो।
- जल सुरक्षित होना चाहिए तथा उसकी गुणवत्ता, रंग, गंध व स्वाद स्वीकार्य होना चाहिए। वह सूक्ष्म–जीवों, रासायनिक तत्वों व विकिरण के खतरों से मुक्त होना चाहिए।
- जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के लिए जल सुविधाएँ व सेवाएँ उसकी पहुँच में होनी चाहिए (डब्ल्यू.एच.ओ के दिशा–निर्देशों के अनुसार 'पहुँच का मूल स्तर' पाने के लिए, जल स्रोत एक किलोमीटर की दूरी में अवश्य होना चाहिए व पानी लाने–ले जाने के लिए आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए[296]) जल सुविधा प्राप्त करते समय व्यक्ति को कोई शारीरिक खतरा नहीं होना चाहिए।
- ◆ राज्य का प्रमुख कर्त्तव्य है कि वे इन अधिकारों की रक्षा करें। वे इनसे भाग नहीं सकते और न ही इन्हें रद्द कर सकते हैं। वे यह सुनिश्चित करें कि सभी को कम से कम न्यूनतम और ज़रूरी मात्रा में जल प्राप्त हो। वे यह सुनिश्चित करें कि पानी की आपूर्ति के घटक यथोचित दूरी पर बने हों ताकि पानी भरने में अत्याधिक समय नष्ट न हो। वे यह भी सुनिश्चित करें कि एक जल स्रोत से पानी लेने पर किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए।
- जल, जल सुविधा व सेवाएँ सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।
- जनसंख्या के सीमांत वर्ग को कानूनन् व वास्तविकता में बिना भेदभाव के जल उपलब्ध कराना चाहिए।
- ◆ राज्यों का प्रमुख कर्त्तव्य है कि सभी प्राप्य जल सुविधाओं और सेवाओं का समान एवं न्यायसंगत वितरण करें। उन्हें कम लागत वाले लक्षित जल कार्यक्रमों को अपनाना व लागू करना चाहिए ताकि समाज के कमज़ोर व सीमांत समूहों की रक्षा हो सके। इन कर्त्तव्यों को किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- जल के अधिकार में शामिल है – मनमाने ढंग से जल आपूर्ति रोकने व इसके संप्रदूषण से मुक्त होने का अधिकार।
- राज्य का एक और प्रमुख दायित्व है जल संबंधी बीमारियों को रोकना, उनका उपचार व उनको नियंत्रित करना, और विशेष रूप से, पर्याप्त सफाई सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जल सम्बंधी मामलों की जानकारी प्राप्त एवं प्रदान करे।
- जल के अधिकार पाने के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था तक लोगों की पहुँच बनी रहे। जल के अधिकार में यह बिंदु भी शामिल है।
- राज्यों का प्रमुख कर्त्तव्य एक ऐसी राष्ट्रीय जल रणनीति और कार्य–योजना बनाना व लागू करना है जो पूरी जनता को लाभ पहुँचाये। इस योजना की तैयारी और आवधिक समीक्षा पारदर्शिता और लोगों की साझी भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। उपयुक्त मापदंडों व संकेतकों का उपयोग करके जल के अधिकार की प्राप्ति या आपूर्ति की समीक्षा करनी चाहिए और वंचित समूहों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए।

राज्य के अन्य कानूनी कर्त्तव्य हैं –

- जल के अधिकार की प्राप्ति में हस्तक्षेप न करना। इसमें शामिल हैं : कोई ऐसा काम न करना जो समान एवं पर्याप्त जल की प्राप्ति को नकारता या सीमित करता हो; गैरकानूनी रूप से जल आपूर्ति को रोकना और राज्य के स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों से या हथियारों के उपयोग व प्रयोग के माध्यम से प्रदूषित जल की आपूर्ति को रोकना।
- उपयुक्त कानूनी या अन्य उपायों के माध्यम से जल के अधिकार की पूर्ति में बाधा डालने वाले तत्वों पर रोक लगाना। इन तत्वों में शामिल हैं – कोई भी व्यक्ति, समूह, निगम या अन्य निकाय, साथ ही साथ राज्य के प्राधिकरण के अधीन कार्यरत एजेंसियाँ।
- उन स्थानों पर जिनका नियंत्रण उपर्युक्त गैर–सरकारी तत्वों द्वारा किया जाता है, पर्याप्त, सुरक्षित व स्वीकार्य जल बिना किसी बाधा के समान रूप से लोगों तक पहुँचे– यह सुनिश्चित करना।
- जल आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए कम लागत की उचित तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना जिससे सभी जल प्राप्त कर सकें। जल सेवाओं के प्रति भुगतान निष्पक्षता के आधार पर बनाया जाना चाहिए ताकि अलाभप्रद समूहों सहित सभी लोग इसे प्राप्त कर सके। गरीब परिवारों पर अमीरों की तुलना में जलसंबंधी खर्चों का असंगत भार नहीं डाला जाना चाहिए।
- विद्यमान जल स्रोतों के उचित उपयोग के लिए नीतियाँ व कार्यक्रम तैयार करना– जल के स्वच्छ प्रयोग, जल स्रोतों की रक्षा और लोगों को जल की बरबादी को न्यूनतम करने से संबंधित उचित शिक्षा देना।
- स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघनों की सुनवाई के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार करना जो व्यक्ति या समूह सभी की पहुँच में हो।

उल्लंघन

समिति ने राज्यों की खातिर इन स्तरों का अनुपालन करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किए हैं। राज्यों को समिति के समक्ष अपनी आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उन्हें बताना होगा कि जल के अधिकार की पूर्ति के प्रति सभी आवश्यक व संभाव्य कदम उठाये गए हैं या नहीं। ऐसे कदमों को उठाने में नेकी और ईमानदारी की कमी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जल के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी राज्य यह कहकर कि 'संसाधनों की कमी है' अपने कर्त्तव्यों से भाग नहीं सकता। यदि पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य को यह दर्शाना होगा कि उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उक्त जल अधिकार में हस्तक्षेप के साथ–साथ ज़रूरी कानून न बनाना या लागू न करना, जल सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपलब्ध न कराना, राष्ट्रीय जल नीति न अपनाना, प्रगति के पर्यवेक्षण के लिए मापदंडों व संकेतकों को न अपनाना, यह सब इस अधिकार के उल्लंघन माने जाएंगे। इन उल्लंघनों के लिए राज्य सी ई एस सी आर के प्रति जवाबदेह है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पेय जल के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटी प्राप्त जीवन के अधिकार से जन्मा मौलिक अधिकार माना है। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह कोई हस्तक्षेप या भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को इस अधिकार की प्राप्ति संभव कराये।[97]

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या

अमीर और गरीब के बीच के अंतर का सबसे प्रमुख प्रमाण उनके स्वास्थ्य की स्थिति से पता चलता है। गरीब देशों में 17 करोड़ बच्चे अपनी आयु से न्यूनभार हैं और प्रति वर्ष 30 लाख बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं, जब कि विश्व भर में 30 करोड़ लोग मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं। अमेरीका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोग मोटापे से संबंधित समस्याओं के कारण मरते है।[298] विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2002 ने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के निम्न स्वास्थ्य स्तर का प्रमुख कारण गरीबी को माना है। सीईएससीआर मानता है कि आई सी ई एस सी आर के अनुच्छेद 11 में दिए गए स्वास्थ्य के अधिकार को पूर्णतः प्राप्त करना विश्व के करोड़ों लोगों के लिए एक दूरस्थ लक्ष्य है, विशेषकर गरीबी में फँसे लोगों के लिए। परंतु स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ अस्वस्थता या बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है और न ही इसे केवल स्वस्थ रहने का अधिकार (अर्थात् शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से खुशहाल जीवन बिताना) मानना चाहिए।

समिति ने स्वास्थ्य के अधिकार को एक विस्तृत अधिकार माना है। इसमें सामयिक रूप से प्राप्त उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल ही नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं को भी शामिल किया है, जैसे सुरक्षित पेय जल व उपयुक्त सफाई–व्यवस्था, पौष्टिक आहार की पर्याप्त आपूर्ति, सुरक्षापूर्ण आवास, बेहतर व्यावसायिक व पर्यावरणीय परिस्थितियाँ तथा स्वास्थ्य सम्बंधी प्रत्येक निर्णय–प्रक्रिया में समुदाय से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक लोगों की भागीदारी।[299] समिति मानती है कि राज्य सभी परिस्थितियों में स्वास्थ्य के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। बीमारी आनुवंशिक कारणों से हो सकती है या फिर व्यक्ति के अस्वास्थ्यकर व जोखिमपूर्ण जीवनशैली के कारण जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। राज्य तो केवल सभी को समान एवं बिना भेदभाव के सुविधाएँ, सेवाएँ और दवाईयाँ उपलब्ध करा सकता है ताकि हर व्यक्ति स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। समिति ने स्वास्थ्य के अधिकार की नियामक सारवस्तु तथा राज्यों के सहवर्ती कर्त्तव्य निम्नलिखित रूप से निर्धारित किए हैं–

स्वास्थ्य के अधिकार के घटक–

- लैंगिक व प्रजनक स्वंतत्रता सहित अपने स्वास्थ्य व शरीर को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता है।
- उत्पीड़न तथा रज़ामंदी के बिना दवाईयों व चिकित्सा–विज्ञान की प्रयोग–सामग्री बनने से मुक्त रहने का अधिकार।
- स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली तक पहुंच का अधिकार जो सभी लोगों को स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर हासिल करने के समान अवसर देता है।
- जानकारी का हक अर्थात् स्वास्थ्य संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त तथा प्रदान करने का अधिकार
- गोपनीयता का अधिकार अर्थात् व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी रिकार्डों को गोपनीय रखा जाना चाहिए।

इन उच्च स्तरों को हासिल करने के लिए राज्य के अधिकार–क्षेत्र में कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ विद्यमान होनी चाहिए–

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की समुचित सुविधाएँ जैसे अस्पताल और क्लीनिक, आवश्यक दवाईयाँ, प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक वेतन दिया जाता हो तथा सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त सफाई सुविधाएँ जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है, अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए;
- ये सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त होनी चाहिए, खास तौर पर समाज के कमज़ोर व सीमांत वर्गों – जैसे महिलाओं, बच्चों, किशोरों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, वृद्ध व्यक्तियों व विकलांगों लोगों को। इस प्राप्ति में शामिल हैं:–
  - इन सारी सुविधाओं तक वास्तव में *सुरक्षापूर्ण ढंग से लोगों की पहुँच,* खास तौर पर विकलांगों को स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में चलने–फिरने के लिए विशेष सुविधाएँ।
  - *आर्थिक रूप से न्यायोचित भुगतान–* अर्थात् स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान, समानता की नींव पर आधारित होना चाहिए ताकि पिछडे वर्ग भी उसका लाभ आसानी से उठा सके। गरीब परिवारों पर अमीरों की तुलना में अनुचित स्वास्थ्य खर्च नहीं थोपने चाहिए।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- *स्वीकार्यता*– अर्थात् स्वास्थ्य सुविधाएँ व सेवाएँ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हों तथा लोगों के लिंग व आयुचक्र के प्रति संवेदनशील हों और चिकित्सा शास्त्र की नैतिकता के प्रति श्रद्धा बनाए रखें।
- *गुणवत्ता*–स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ, सामान व सेवाएँ चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक रूप से उचित व बेहतर होनी चाहिए।

राज्य के प्रमुख कर्त्तव्य

समिति ने बताया है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार का लाभ प्राप्त कराने के लिए राज्यों को निम्नलिखित मूल दायित्वों को निभाना होगा। किसी भी परिस्थिति में इन्हें रद्द करना या मानने से इनकार करना मना है। राज्य को चाहिए कि वे–

- कोई भेदभाव किए बिना स्वास्थ्य सुविधाएँ, वस्तुएँ व सेवाएँ प्राप्त कराने के अधिकार को सुनिश्चित करें, विशेषकर कमज़ोर और सीमांत समूहों के लिए;
- भूख से आज़ादी तथा न्यूनतम और अनिवार्य पौष्टिक व सुरक्षित भोजन की प्राप्ति सुनिश्चित करें;
- आवास, सफाई व पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें;
- उन आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था करें जिन्हें डब्ल्यू.एच.ओ.की दवाइयों की सूची में समय–समय पर शामिल किया जाता है;
- सभी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं का वितरण न्यायसंगत रूप से कराने का प्रबंध करें;
- एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति व कार्य योजना अपनाएं। उसकी तैयारी व समीक्षा आवधिक रूप से पारदर्शिता के आधार पर लोगों की साझी भागीदारी के साथ की जाएगी;
- स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ति में हुई प्रगति की समीक्षा करें जिसमें उपयुक्त मापदंडों व संकेतकों का उपयोग करके सभी सीमांत और कमज़ोर समूहों पर विशेष ध्यान रखा जाए;
- प्रजनन व जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करें;
- समाज में व्याप्त प्रमुख संक्रामक बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध करायें;
- महामारी और विशेषक्षेत्री रोगों से बचाव, उनके उपचार और उनको नियंत्रित करने के लिए उपाय करें;
- समाज की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित जानकारियाँ, जिसमें उन्हें रोकने के लिए तरीके बताये गए हैं, उपलब्ध कराएं, तथा
- स्वास्थ्य कर्मचारियों को मानवाधिकारों की शिक्षा सहित उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

समिति मानती है कि राज्यों का एक विशेष कर्त्तव्य विकासशील देशों को सहायता व सहयोग (आर्थिक व तकनीकी) देना है जिससे वे अपने अधिकार–क्षेत्र में इन दायित्वों को पूरा कर सके। राज्यों का यह कर्त्तव्य भी है कि वे स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन की सुनवाई के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करें जो व्यक्ति या समूह सभी की पहुँच में हो। ऐसे सभी पीड़ित फिर से उल्लंघन न होने के समुचित प्रतिकार गारंटी के हकदार होंगे।

उल्लंघन

समिति ने स्पष्ट किया है कि अपने प्रमुख कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम न उठाने वाले या कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था न करने वाले राज्यों को स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के लिए दोषी माना जाएगा। संभाव्य उल्लंघनों की सूची निम्नलिखित है–

- स्वास्थ्य व व्यावसायिक सुरक्षा सम्बंधी राष्ट्रीय नीतियों को अपनाने में असफलता;
- स्वास्थ्य सम्बंधी खर्चे के लिए पर्याप्त सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध कराने में असफलता। इस में संसाधनों का गलत वितरण शामिल है;
- लिंग संवेदी दृष्टिकोण अपनाने में असफलता;
- नवजात तथा माताओं की मृत्युदर में कमी करने में असफलता;
- स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक जानकारी के प्रसार को जानबूझ कर रोकना या गलत सूचना देना;

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण व्यक्ति या समूहों को स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने से इन्कार करना;
- उन व्यक्तियों तथा निगमों के कार्यों को नियंत्रित करने में असफलता जो लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार में बाधा उत्पन्न करते हैं;
- तम्बाकू, मादक द्रव्यों व अन्य हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार व उपभोग को रोकने में असफलता;
- स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पारम्परिक चिकित्सा या सांस्कृतिक रीति–रिवाज़ों को रोकने में असफलता;
- खनन कम्पनियों व अन्य उद्योगों द्वारा किए जानेवाले वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम बनाने या लागू करने में असफलता, तथा
- अन्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता करते समय प्रमुख कर्त्तव्यों की उक्त रूपरेखा को ध्यान में रखने में असफलता।

अपनी आवधिक रिपोर्ट सौंपते समय सभी राज्य इन उल्लंघनों के लिए समिति के समक्ष जवाबदेह होंगे।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य व चिकित्सा देखभाल, एकान्त, आवास, सफाई व पेय जल को मौलिक अधिकार के रूप में माना है। ये एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं।[300] न्यायालय ने राज्य का यह कर्त्तव्य माना है कि वह सभी नागरिकों की अच्छी सेहत के लिए आवश्यक माहौल बनाये।[301]

शिक्षा के अधिकार का विस्तार

अकेले दक्षिण एशिया में विश्व के 50 प्रतिशत अशिक्षित लोग रहते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत महिलाएँ हैं। शिक्षा की कमी के कारण अशिक्षित लोग अपनी क्षमता का पूरा विकास नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वे शोषण के शिकार बनते हैं। सीईएससीआर ने शिक्षा को अपने आप में एक मानवाधिकार तथा अन्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य अधिकार माना है। संक्षेप में, यह सशक्तिकरण का अधिकार है जो कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग/समूहों को अपने जीवन को गरीबी से मुक्त कराने और समाज के कार्यों में प्रभावी रूप से भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य पूर्ण गरिमा से व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना है। समिति ने शिक्षा के अधिकार की सारवस्तु परिभाषित की है तथा उनकी पूर्ति के लिए राज्य के कर्त्तव्यों की पहचान की है।[302]

शिक्षा के अधिकार के घटक

- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके साथ लिंग के आधार पर शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति में भेदभाव न किया जाए।
- प्राथमिक शिक्षा से वंचित या उसे पूरी अवधि तक न पाने वाले लोगों को आयु या लिंग के भेदभाव के बिना बुनियादी शिक्षा पाने का अधिकार है।
- छात्रों का अधिकार है कि शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें शारीरिक दण्ड न मिले या उनका अपमान न किया जाए।
- माता–पिता को अपने बच्चों के लिए उन निजी स्कूलों को चुनने का अधिकार है जो राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करते हैं।
- यह सुनिश्चित करना माता–पिता का अधिकार है कि उनके बच्चों को अपने मतानुसार धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्राप्त हो।
- शिक्षक समुदाय के सदस्यों को व्यक्तिगत या समूहगत रूप से अनुसंधान, शिक्षा, अध्ययन, विचार–विमर्श, प्रलेखन, लेखन व अन्य संबंधित साधनों के माध्यम से ज्ञान एवं विचारों को पढ़ने व विकसित करने का अधिकार है।

शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए अनिवार्य परिस्थितियाँ

राज्य की ज़िम्मेदारी है कि नागरिकों के शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्हें कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराए–

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- सक्रिय शैक्षणिक सस्थान, कार्यक्रम व सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक राज्य के अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएं। इसमें शामिल हैं– छात्रों के लिए भवन व सुरक्षा के अन्य साधन, छात्र व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय व्यवस्था, सुरक्षित पेय जल, प्रतिस्पर्धात्मक वेतनभोगी प्रशिक्षित अध्यापक, पढ़ाई का सामान व पुस्तकालय, कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएँ, जहाँ आवश्यक हों;
- शैक्षिक संस्थान सभी की पहुँच में होने चाहिए;

कानूनी तौर पर तथा वास्तव में शिक्षा सभी की पहुँच में होनी चाहिए, खास तौर पर कमज़ोर व पिछड़े समूहों के लिए;

- शैक्षणिक सुविधा सुगम स्थलों (अर्थात् पास के स्कूल) पर या आधुनिक तकनीक के माध्यम से, जैसे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (distance education) के ज़रिए प्राप्त होनी चाहिए;
- शिक्षा सबकी पहुंच में होनी चाहिए– जबकि प्राथमिक शिक्षा मुफ़्त व अनिवार्य होनी चाहिए, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा क्रमशः निःशुल्क होनी चाहिए;
- पाठ्यक्रम व शिक्षा पद्धति सहित शिक्षा का स्वरूप व विषय सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और बेहतर होना चाहिए;
- शिक्षा परिवर्तनशील होनी चाहिए तथा बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए;
- छात्रों की प्रकट क्षमता व योग्यता को ध्यान में न रखते हुए, सभी को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए;
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा व प्रशिक्षण के अंग के रूप में मिलनी चाहिए।

राज्यों के प्रमुख कर्त्तव्य

- भेदभावरहित आधार पर सार्वजानिक शैक्षणिक संस्थानों व कार्यक्रमों में भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- आई सी ई एस सी आर में उल्लेखित उद्देश्यों की पुष्टि करने वाली शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना (अर्थात् गरिमापूर्ण तरीके से व्यक्तित्व का विकास, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने के योग्य बनाना तथा सभी जनजातीय समुदायों और साथ ही साथ राष्ट्रीय, जातीय व धार्मिक समूहों में आपसी समझ–बूझ विकसित करना)।
- सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- एक राष्ट्रीय शैक्षणिक रणनीति अपनाना व लागू करना। इसमें शामिल हैं : माध्यमिक, उच्चतर व बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था (बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों और अशिक्षित वयस्कों के लिए)
- राज्य या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से शिक्षा को चुनने के अधिकार को सुनिश्चित करना (बशर्ते कि वह राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर का पालन करती हो)।

राज्यों का कर्त्तव्य है कि वह उचित कदम उठाकर शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के मार्ग में आने वाली रूकावटों को दूर करें। उनका यह कर्त्तव्य भी है कि वे इस अधिकार की पूर्ति में तीसरे पक्ष अर्थात् व्यक्ति, समूह व निगमों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कदम उठायें। उदाहरण के लिए, उनका कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि माता–पिता और नियोक्ता बच्चों को स्कूल जाने से न रोके; विशेषकर लड़कियों को। राज्यों का कर्त्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज और परिवार बाल–मज़दूरी पर निर्भर न हों। राज्य यह सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम सभी स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्यों की उक्त रूपरेखा पर खरा उतरता हो। वे शिक्षावृत्ति या वज़ीफे की व्यवस्था उपलब्ध करायें जिससे शिक्षा का खर्च न उठा सकने वाले अलाभप्रद समूहों को सहायता मिले। उन्हें सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए न्यूनतम स्तर स्थापित करने होंगे तथा एक पारदर्शी एवं प्रभावी प्रणाली बनानी होगी जो इस बात पर नज़र रखेगी कि शिक्षा के अधिकारों को प्राप्त किया गया है या नहीं।

उल्लघंनो की सूची का विस्तार उपरोक्त अधिकारों व स्वतंत्रताओं से पूर्णतः वंचित होने से लेकर उन आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करने में असफलता तक है जिससे व्यक्ति या समूह शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएं।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

गैर–राज्य कर्ताओं के दायिव्य

समिति ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों जैसे यूनेस्को, यूएनडीपी, यूनिसेफ, आईएलओ तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों, जैसे आई एम एफ व विश्व बैंक को विकासशील देशों में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए कहा है ताकि शिक्षा के अधिकार का अनुपालन हो सके। विशेषकर आईएमएफ और विश्व बैंक को अपनी ऋण नीतियों, ऋण समझौतों और ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (एस ए पी) में इस अधिकार की रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली आवधिक रिपोर्टों की जाँच करते समय, समिति सभी गैर–राज्य कर्ताओं द्वारा दी गई सहायता पर विचार करेगी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उसने यह घोषणा भी की है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है। तदनुसार, संसद ने संविधान में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा मुफ़्त व अनिवार्य बना दी है।[303]

उपयुक्त आवास का अधिकार

विश्व भर में 100 करोड़ से अधिक लोग गरीब हैं। इनके पास या तो घर नहीं है या पर्याप्त आश्रय नहीं है। भारत और बांगलादेश में बाढ़ व तूफानों के कारण हुई तबाही से प्रतिवर्ष लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। आश्रय की कमी के कारण भीषण गर्मी और सर्दी के मौसम में कई हज़ार लोग मारे जाते हैं। कई लाख लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण घर तथा भूमि से विस्थापित कर दिया जाता है तथा मुआवज़े के तौर पर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। 100 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षित जल व सफाई सुविधाएँ तक प्राप्त नहीं है। इनमें अधिकांश महिलाएँ व बच्चे हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) के अनुसार राज्यों को वर्ष 2015 तक उन लोगों की संख्या आधी करनी होगी जिनके पास सुरक्षित पेय जल और सफाई सुविधाएँ नहीं है (लक्ष्य 7)। शहरों की गंदी बस्तियों में जी रहे 10 करोड़ गरीबों के जीवन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए राज्यों को कदम उठाने होंगे। आईसीईएससीआर प्रत्येक मानव के अधिकार को समुचित जीवन–स्तर से जोड़कर देखता है। {अनुच्छेद 11(1)}। इसमें पर्याप्त आहार, कपड़ा और मकान व जीवन की स्थिति में निरन्तर सुधार शामिल है।[304] अतः उपयुक्त आवास का अधिकार जीवन–स्तर के एक विस्तृत अधिकार से निकला है और इसका संबंध उन अनेक अधिकारों से है जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक तथा आई सी ई एस सी आर द्वारा स्वीकृत है।

उपयुक्त आवास के अधिकार के घटक

- प्रत्येक व्यक्ति व उसके परिवार को उपयुक्त आवास का अधिकार है। परिवार की संकल्पना को विस्तृत दृष्टि से समझना चाहिए। उसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले कुटुंब भी शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आयु, लिंग, धर्म या अन्य सम्बंधों से परे आवास का अधिकार है।
- इसके अंतर्गत, सिर पर एक छत ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, शांति और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आता है। आश्रय एक वस्तु मात्र नहीं है। आमदनी या आर्थिक संसाधनों की कमी की आड़ में किसी भी व्यक्ति को आवास के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

उपयुक्त आवास में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं–

- *उपभोग की अवधि की कानूनी सुरक्षा–* किराये पर आवास, सहकारी आवास, लीज़, मालिकाना हक, संकटकालीन आवास या अनौपचारिक आवास जिसमें भूमि व सम्पत्ति पर अनधिकृत निवास शामिल है, सभी के पास उपभोग की अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए जो ज़बरदस्ती घर से निकालने, उत्पीड़न व अन्य खतरों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण देता है।
- *सामग्री, सुविधा और बुनियादी व्यवस्था एवं सेवाओं की उपलब्धता–* प्राकृतिक व सामान्य संसाधनों, सुरक्षित पेय जल, खाना बनाने, तथा बिजली व सर्दियों में तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा, सफाई एवं धोने की सुविधा, खाद्य संग्रहण के साधन, कूड़े–करकट का निपटान, जल निकास व आपातकालीन सेवाएँ सभी तक स्थायी रूप से पहुँचनी चाहिए।
- *खर्च की क्षमता–* आवास की लागत का स्तर इतना होना चाहिए कि अन्य किसी बुनियादी आवश्यकता की प्राप्ति पर उसका गलत असर न पड़े।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- *निवास–योग्यता–* आवास में पर्याप्त जगह होनी चाहिए तथा वह अपने अन्दर रहने वालों को गर्मी, सर्दी, आँधी, बारिश, नमी व स्वास्थ्य एवं रोग सम्बंधी अन्य खतरों से बचाये। रहने वालों को शारीरिक सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए।
- *सुलभता–* आवास उन सभी को मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। गरीब व वंचित समूहों को आवास सम्पूर्ण और स्थायी रूप से मिलना चाहिए। इनमें वृद्ध, बच्चे, विकलांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा एचआईवी के शिकार व्यक्ति भी शामिल हैं। ऐसे समूहों, प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों तथा विपदा के खतरे वाले क्षेत्रों के लोगों को आवास के अधिकार की प्राप्ति के संदर्भ में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- *स्थल–* चाहे शहर हो या गाँव, घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ रोज़गार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्कूल, बाल केन्द्र व अन्य सामाजिक सुविधाएँ पास में हों। प्रदूषित स्थानों या जहाँ प्रदूषण की चपेट में आना आसान हो, पर घर नहीं बनाने चाहिए।
- *सांस्कृतिक उपयुक्तता–* आवास को बनाने का तरीका, प्रयुक्त इमारती समान और आवास नीतियाँ इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे सांस्कृतिक पहचान व विभिन्नता को अभिव्यक्ति मिल सकें।

समुचित आवास के अधिकार की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहवर्ती अधिकार जैसे वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक–निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार तथा एकान्त का अधिकार आदि की गारंटी होनी चाहिए।

राज्यों के कर्त्तव्य–

समिति मानती है कि देश का विकास चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो, आवासन के अधिकार की पूर्ति के लिए राज्य को निम्न ज़रूरी कदम तुरंत उठाने चाहिए–

- राज्यों को राष्ट्रीय आवास रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें पर्याप्त विचार–विमर्श झलकता हो और जिसमें उन सभी प्रभावितों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया हो जो बेघर हैं या जिनके पास उपयुक्त आवास नहीं है।
- प्रतिकूल स्थिति में रहने वाले सामाजिक समूहों को राज्य द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवास का अधिकार प्राप्त करने के लिए नीतियाँ और कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह पहले से ही अनुकूल स्थिति में रहने वाले सामाजिक समूहों को लाभ न पहुँचाये जिस के कारण ज़रूरतमंद लोग तंगहाल रह जाएं।
- राज्य को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति एवं समूहों के साथ प्रामाणिकता से विचार–विमर्श कर तुरन्त ऐसे कदम उठाए कि सभी असुरक्षित व्यक्ति और परिवारों को आवास–उपभोग अवधि की सुरक्षा कानूनी तौर पर मिले।
- राज्य आवास के अधिकार की पूर्ति के संबंध में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाए।
- जहाँ राज्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के मिश्रित कार्यसाधन अपनाता है, उसका यह दायित्व बनता है कि वह इस बात का प्रमाण दे कि उठाए गए कदम हर एक व्यक्ति को कम से कम समय में सारे उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आवास के अधिकार प्राप्त कराने के योग्य हैं।
- राज्य को कानूनी उपायों की एक व्यवस्था बनानी चाहिए जो समुचित आवास के अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति की पहुँच में हो, जैसे–
  - न्यायालय की निषेधाज्ञा जारी करने के माध्यम से नियोजित बेदखली या तोड़–फोड़ को रोकने के उद्देश्य से कानूनी अपील।
  - अवैध बेदखली होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कानूनी प्रक्रिया।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

- किराया, घर की मरम्मत और जातीय या किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के संबंध में मकान मालिक (सरकारी हो या निजी) द्वारा किए गए या उनके द्वारा समर्थित गैर–कानूनी काम के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई।
- आवास के आवंटन तथा उपलब्धता में हुए किसी भी प्रकार के भेदभाव के आरोपों की सुनवाई।
- अस्वास्थ्यकर या अपर्याप्त आवास स्थिति के संबंध में मकान मालिक के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई।

◆ अधिकतम लोगों को आवास की सुविधा दिलाने के लिए ज़रूरी परिस्थितियों के निर्माण हेतु पर्याप्त वित्तप्रबंधन करना राज्य के कर्त्तव्यों में शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वीकृत जीवन के अधिकार का एक अंग है। यह माना गया है कि राज्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने या अपने सहायकों द्वारा चलाई गई आवास योजनाओं के तहत गरीबों को उनकी सामर्थ्य के अनुरूप स्थाई आवास उपलब्ध कराये।[205]

आहार के अधिकार का 'विस्तार' काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। खाद्य और कृषि संगठन [Food & Agricultural Organisation (FAO)] सी ई एस सी आर और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रोत्साहन एवं सरंक्षण उप–आयोग (UN Sub-commission on the Promotion and Protection of Human Rights)] विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास आयोग (World Commission on Environment and Development) ने भोजन के अधिकार को विस्तार से प्रस्तुत किया है। राष्ट्रमंडल देशों ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है: बोत्स्वाना की राष्ट्रीय खाद्य नीति इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनेक राष्ट्रमंडल देशों ने अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे सन् 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन (World Food Summit) में स्वीकार की गई खाद्य सुरक्षा घोषणा और कार्ययोजना (Declaration on Food Security & Plan of Action)। इनमें उन्होंने कम से कम अपने नागरिकों और अन्य देशों की आवश्यकताओं के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की है। इन सभी बातों से आहार के अधिकार की परिभाषा को व्यापक बनाने और उसे सभी सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के साथ जोड़ने में काफी मदद मिली है, ताकि उनकी प्रवर्तनीयता में सुधार लाया जा सके।

ढांचागत सुधार

अधिकारों की विस्तृत व्याख्या के बावजूद, गरीबी दूर करने में अधिकारों के इस ढांचे की क्षमता अधिकतम बनाने के लिए उस पर पुनर्विचार करने और उसे नया रूप देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ऐसा मानने वाले लोग हैं जो अपने को इस ढांचे से बाहर समझते हैं। कुछ मौलिक अधिकारों की धारणा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

कर्त्तव्यधारक

एक ऐसे विश्व में, जहां निगम अनेक राष्ट्रों से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हों, जहां निवेश के फैसले अन्य देशों द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा किए जा रहे हों और जिसमें बाजार को इतना अधिक महत्व मिल गया हो कि वह राष्ट्र के क्रिया–कलापों से अपने को काफी हद तक मुक्त महसूस करने लगा हो, अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए बहुपक्षीय कर्ज़दाता संस्थानों (Multilateral Lending Institutions) ने अपने घोषणापत्रों की बड़ी संकुचित व्याख्या की है। उनका कहना है कि वे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो खासकर सदस्य देशों के बीच संबंधों के आर्थिक पहलुओं से संबद्ध हैं। वे न तो मानक निर्धारक (standard setters) हैं और न ही मानवाधिकारों को लागू करने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा वे ऐसी आर्थिक स्थितियां पैदा करने में मदद कर सकते हैं, जो मनावाधिकारों को पूरा करने की दिशा में योगदान कर सकें। मानवाधिकारों के बारे में उनका कहना है कि उनका संबंध अनिवार्यतः राष्ट्रों के बीच संबंधों और उनके नागरिकों के साथ है।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

सहायता तथा उत्तरदायित्व

क्या विदेशी सहायता पर आधारित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही होने पर दाता एजेंसियों और उनके तकनीकी विशेषज्ञों पर ज़िम्मेदारी बनती है? बांगलादेश में बहुपक्षीय वित्त–पोषित ट्यूबवेल परियोजना के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता के घटिया विश्लेषण के लिए आर्सेनिक जहर से पीड़ित दो बांगलादेशियों ने इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान समिति (National Environment Research Council- एनईआरसी) को न्यायालय ले जाकर एक रास्ता दिखाया है।

बांगलादेश में, ज़मीन के ऊपर मौजूद अधिकांश जल दूषित है। प्रतिवर्ष, दस्त लगने से लगभग 20,000 मौतें होती हैं तथा ढेरों लोग पानी से उत्पन्न होने वाले हैज़ा जैसे रोग से मरते हैं। सरकार ने सिंचाई व घरेलू उद्देश्यों के लिए भूमिगत जल की आपूर्ति शुरू की। इंग्लैंड की विदेशी दाता – समुद्रपार विकासात्मक एजेंसी (Overseas Developmental Agency) द्वारा वित्त–पोषित दूसरी नितल नलकूप सिंचाई परियोजना (Deep Tubewell Irrigation Project II) के तहत 1983 से 1992 के बीच 4,000 ट्यूबवेलों की स्थापना की गई। एनईआरसी द्वारा वित्त–पोषित सरकार की एक सहायक कम्पनी – ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (British Geological Survey) को इस परियोजना के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए बुलाया गया। वर्ष 1992 में ओडीए द्वारा वित्त–पोषित बीजीएस ने ट्यूबवेलों का सर्वेक्षण किया तथा रिपोर्ट में कहा कि जल सिंचाई, खाना बनाने और पीने के योग्य है। यह अध्ययन सेमिनार व अकादमिक पत्रिकाओं में सार्वजनिक किया गया तथा रिपोर्ट ओडीए व बांगलादेशी सरकार को सौंप दी गई। तथापि 1990 के दौरान इन नलकूपों से दिए गए पानी में आर्सेनिक ज़हर के होने के मामले सामने आने लगे। यह अनुमान है कि लगभग 10,000 लोग आज गंभीर रूप से आर्सेनिक से पीड़ित हैं। आर्सेनिक एक खतरनाक जहर है जिससे चर्म कैंसर, अंधापन, फोड़े, गैंग्रीन और अंततः मौत हो सकती है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने इसे "इतिहास में ज़हर से होनी वाली सबसे बड़ी घटना माना है।"[306]

विनोद सूत्रधार और लक्की बेगम – जो आर्सेनिक जहर से पीड़ित हैं – ने लंदन के उच्च न्यायालय में एनईआरसी के विरूद्ध सर्वेक्षण के दौरान पानी में आर्सेनिक की जाँच न करने के लिए दावा किया है। बांगलादेश कानूनी सहायता सेवा न्यास (Bangladesh Legal Aid Services Trust- BLAST), बांगलादेश पर्यावरणीय वकील संघ (Bangladesh Environmental Lawyers Association- BELA) और बांगलादेश अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही नेटवर्क (Bangladesh International Action Network- BIAN) की कानूनी सहायता से अर्ज़ीदारों ने दावा किया है कि एनईआरसी को अपनी सहायक कम्पनी– बीजीएस की घोर लापरवाही के कारण हुई मौतों व बीमारियों के लिए मुआवज़ा देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीजीएस के सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य पानी में विद्यमान रसायन के मनुष्य, मछलियों व फसलों पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना था। परन्तु आर्सेनिक के लिए जल–परीक्षण न करके बीजीएस ने जल आपूर्ति परियोजना के लाभार्थियों की 'परवाह न करते हुए' अपने कर्त्तव्यों में लापरवाही की है। क्योंकि बीजीएस ने अपनी रिपोर्ट में ट्यूबवेलों के जल को स्वीकृति दे दी थी, इसलिए सरकार ने लोगों को घरेलू उपयोग के लिए उसके इस्तेमाल की छूट दे दी। अर्ज़ीदाताओं ने दावा किया कि अगर उन्हें पता होता कि पानी आर्सेनिक युक्त है, तो वे इसे नहीं पीते।

इस कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेते हुए, एनईआरसी ने न्यायालय में तर्क दिया कि आर्सेनिक के लिए पानी के परीक्षण हेतु वह कर्त्तव्य–बद्ध नहीं था। एनईआरसी ने कहा, इसके अतिरिक्त वह न तो बांगलादेशी सरकार और न ही अर्ज़ीदाताओं के साथ किसी अनुबंध से बंधा था, अतः उसका यह कर्त्तव्य नहीं बनता कि वह लोगों की 'परवाह करे'। एनईआरसी ने दावे के जल्द निपटान की बात कही क्योंकि उसके कार्यों से अर्ज़ीदाताओं को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं पहुँची है।

तथापि मई 2003 में, न्यायाधीश साइमन ने यह कहते हुए मामले के जल्द निपटान से इंकार कर दिया कि वैज्ञानिक व तकनीकी रिपोर्टों के उपयोग के बारे में कानूनी समझ अभी व्यवस्थित रूप नहीं ले पाई है; इसलिए एनईआरई की दायित्व और अर्ज़ीदाताओं के दावों की वैधता पर निर्णय करने के लिए मामले को ध्यान से सुनना आवश्यक है।[307]

ऐसे देश में जहाँ गरीब को चुनना हो कि वह दस्त से मरेगा या आर्सेनिक के ज़हर से, वहाँ सहायक एजेंसियों व उनके सलाहकारों को उनके विकासात्मक कार्यों के हानिकारक प्रभावों के लिए जवाबदेह बनाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।[308]

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

ऐसी दलीलों के मद्देनज़र इन संस्थानों को स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के प्रति कर्त्तव्यधारक मानना ज़रूरी हो जाता है। हमें इस तर्क को अस्वीकार करना होगा कि नागरिकों के प्रति मानवाधिकारों का दायित्व राज्य का है, क्योंकि इसमें कर्ज़दाता संस्थानों को उनकी नीतियों से मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के दायित्व से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। विश्व बैंक, अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठन सदस्य देशों के समूह मात्र नहीं हैं। उनका वैधानिक स्वरूप है और अपने क्रियाकलाप संचालित करने के लिए उन्हें आवश्यक विशेषाधिकार एवं दण्डरक्षा के आश्वासन (immunities) प्रदान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार गठित इन संस्थानों को मानवाधिकार कानूनों के मूलभूत सिद्धान्तों का अवश्य सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी उन्हीं सामान्य सिद्धान्तों का हिस्सा हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानदंड, दोनों का ही साझा वैधानिक स्रोत (*jus congens*) है "किसी भी कर्ता को उसके कार्यों के लिए सैद्धांतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए"। इस सूत्र के अनुसार कर्ज़दाता संस्थानों का यह दायित्व बनता है कि अपनी नीतियों के कारण मानवाधिकारों पर होने वाले नकारात्मक प्रभावों को दूर करें।[309]

संयुक्त राष्ट्र विश्वव्यापी समझौता

1998 में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कोफी अन्नान ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में विश्व के व्यापारिक नेताओ के समक्ष समान मूल्यों और सिद्धान्तों के विश्वव्यापी समझौते का प्रस्ताव किया ताकि विश्व बाजार को मानवीय रूप प्रदान किया जा सके। श्री अन्नान ने उनसे अपील की कि वे तीन क्षेत्रों मानवाधिकार, श्रम मानकों और पर्यावरण में बुनियादी मूल्य तय करने, अपनाने और उनका समर्थन करने के बारे में समझौता करें।

विश्वव्यापी समझौते के नौ सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

मानवाधिकार :

- अपने प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का समर्थन, सम्मान और संरक्षण करना और
- यह सुनिश्चित करना कि उनके स्वयं के निगमों में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो।

श्रम :

- संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक मोल–भाव के अधिकार को प्रभावी मान्यता;
- सभी प्रकार की बाध्यकारी और बंधुआ मज़दूरी का उन्मूलन;
- बाल मज़दूरी का कारगर उन्मूलन और
- रोज़गार और व्यवसाय के संदर्भ में भेदभाव दूर करना।

पर्यावरण :

- पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति ऐहतियाती दृष्टिकोण अपनाना;
- पर्यावरण के प्रति दायित्व बढ़ाने के उपाय करना और
- पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी विकसित करने और उसके प्रसार को बढ़ावा देना।

हालांकि यह स्वैच्छिक समझौता किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह कम्पनियों को उनके लक्ष्य वक्तव्यों में सार्वभौम मूल्य शामिल करने, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबंध पद्धतियों में परिवर्तन करने और सीखने के अनुभवों में हिस्सेदारी के लिए प्रेरित करता है। हाल ही में कम्पनियें ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे विश्वभर में व्यापार संगठनो का समर्थन प्राप्त है।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

कर्त्तव्यधारक के रूप में कर्ज़दाता संस्थानों की पहचान इन संस्थानों के भीतर और बाहर, दोनों ही स्थितियों में होनी चाहिए। इस तरह की स्पष्ट मान्यता से इन संस्थानों पर यह दायित्व आयेगा कि वे अपने नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए तत्परता से उपाय करें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अनुसरण करें। ओलोका –ऑन्यांगो और उदगामा ने सिफारिश की है कि मानवाधिकार मानकों को कर्ज़दाता संस्थानों द्वारा गरीबी कम करने की नीतियां तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। विकास के अधिकार संबंधी घोषणा मे बनी सहमति के अनुसार विकास की प्रक्रिया में किसी एक अधिकार या अधिकारसमूह को खास महत्व दिए बिना सभी मानवाधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। कर्ज़दाता संस्थानों के मानवाधिकार संबंधी दायित्वों में 'अप्रतिगमन का सिद्धांत' (principle of non-retrogression) – यानि पूर्व उपलब्धियों में गिरावट न हो – शामिल किया जाना चाहिए। इसका अर्थ है वे ऐसे बृहत आर्थिक नीति उपायों की सलाह नहीं देंगें, जिनका गरीबी दूर करने की नीतियां अपनाने वाले देशों में पहले से हासिल की गई सामाजिक उपलब्धियों पर विपरीत असर पड़े। बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गतिशील उपाय करने चाहिए, जहां पहले से रचनात्मक उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। समय–समय पर मानवाधिकार प्रभाव–मूल्यांकन (Human Rights Impact Assessment) कराने से इन क्षेत्रों में रचनात्मक उपलब्धियों के लिए खतरे कम करने में मदद मिल सकती है।[310] इस तरह की संस्थागत जवाबदेही में कार्यकलाप में पारदर्शिता, नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन और कर्ज़दाता संस्थानों के भीतर क्षतिपूर्ति के समुचित व प्रभावी उपायों की व्यवस्था करना शामिल है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में इस समय अपनी ज़्यादातर ज़िम्मेदारियों से बचने वाले शक्तिशाली कर्ता–समूहों में एक और प्रमुख उदाहरण निजी क्षेत्र का है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वह भी इस संदर्भ में अपने दायित्व पूरे करे। निजी क्षेत्र की शक्ति निरंतर और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। राज्यों को उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इसलिए, ज़रूरत हो गई है कि इस क्षेत्र पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किए जाएं।

अभी तक स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून–व्यवस्थाएं कंपनियों को नियंत्रित करने में ज़्यादातर असफल ही रही हैं। बल्कि निगम दावा करते हैं कि वे मानवाधिकारों के लाभार्थी हैं और ज़्यादातर कानून–व्यवस्थाओं में उन्हें यह दर्ज़ा दिया भी गया है। लेकिन वे दूसरों के मानवाधिकारों का सम्मान करने के अपने दायित्व से अक्सर परहेज़ करते हैं। मानवाधिकार की पारंपरिक धारणाओं के तहत उन पर अन्यों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता। इन धारणाओं के तहत यह दायित्व केवल राज्यों को ही सौंपा गया है। राज्य को ही उल्लंघनकर्ता के रुप में देखा गया है।

भोपाल का यूनियन कार्बाइड़ हादसा ही यह दिखाने के लिए काफी है कि निगमों द्वारा अन्यों को पहुंचाए गए नुकसान और पर्यावरण की क्षति के लिए उन पर सामान्य कानून–व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं। अधिकांश बड़े निगम अपने द्वारा नियंत्रित किसी सहायक कंपनी के ज़रिए अपने क्रियाकलापों का संचालन करते हैं और इन सहायक कंपनियों के दायित्व लागू कराना लगभग असंभव है। वजह? जिस संपत्ति या साधनों से होने वाली क्षति के विरुद्ध दावा किया जाता है, वे दूरदराज़ के किसी अभिभावक–निगम के स्वामित्व में होती है और अभिभावक–निगम अपनी सहायक कंपनी के दायित्वों का वहन करने से साफ इंकार कर सकता है। फिर, बड़े निगमों के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाईयों में अक्सर निगमों की पक्षधरता का रुझान देखने में आता है। उनके पास अकूत साधन होते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रतिभाओं को खरीद सकते हैं। अदालत की कार्रवाई को लंबा खींच सकते हैं या फैसले के लागू होने में बाधाएं खड़ी करते रह सकते हैं। दूसरे, किसी निगम के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई से हमेशा प्रतिशोध का खतरा होता है–नौकरी जा सकती है, सामाजिक उत्पीड़न हो सकता है या निगम कोई और तरीके अपना सकता है।

इसके बावजूद, निगमों को जवाबदेह बनाने के कारगर तरीके मौजूद हैं। अब कंपनिया अपना हितसाधन करने के लिए ही सही, मानवाधिकारों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाती दिखना चाहने लगी है। नैतिक, पर्यावरणीय व सामाजिक स्तर पर ज़िम्मेदार दिखना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाने लगा है। वरना उपभोक्ता बहिष्कार कर सकते हैं, शेयरधारक परेशान कर देने वाले सवाल पूछ सकते हैं (हो सकता है कि उनमें से कुछ ने शेयर खरीदे ही इस स्थिति में आने के लिए हों) और निगम के विरुद्ध सार्वजनिक प्रचार हो सकता है। इन कारणों से, गहरी व्यावसायिक सूझबूझ रखने वाले निगम गरीबों के पक्षधर होने की भंगिमा अपनाने लगे हैं।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली उत्पादक संघ ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा लोगों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के फैसले के खिलाफ अदालत का सहारा लिया। किन्तु, जब इन कम्पनियों के खिलाफ व्यापक प्रचार किया गया कि वे किस प्रकार एच आई वी संक्रमित लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचने से रोकना चाहते हैं, तो उन्हें बाध्य होकर दक्षिण अफ्रीकी पेटेंट कानून को चुनौती देने से पीछे हटना पड़ा।

भारी खपत के इस युग में, उपभोक्ता द्वारा बहिष्कार निगमों पर भारी दबाव डाल सकता है, क्योंकि इसका उनके मुनाफे पर तत्काल असर पड़ता है। पाकिस्तान और बांगलादेश में गलीचा तथा फुटबाल निर्माण–उद्योग में निगमो को बच्चों से काम कराने से रोकने में उपभोक्ता बहिष्कार को पर्याप्त सफलता मिली है। इसी तरह नाइकी और अन्य कम्पनियों – जो अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा ऐसी कंपनियों द्वारा बनवाते थे जहाँ शोषित मज़दूर कम वेतनों पर काम करते थे–के खिलाफ अभियान और जीन परिष्कृत खाद्यों की बिक्री के खिलाफ चलाए गए अभियान भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं।

यही वजह है कि निगमों ने अब स्वयं ही मानवाधिकारों की बात करना आरम्भ कर दिया है। अनेक कम्पनियों ने गुणवत्ता, श्रममानकों, वेतननीति और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में स्वैच्छिक आचार संहिता अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। हाल के वर्षों में, अनेक संगठन यह तय करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं कि कम्पनियों द्वारा मानवाधिकारों का दायित्व कैसे पूरा किया जा सकता है।[311] एक ज़िम्मेदार आचार संहिता को आकार देना इन प्रयासों का सामान्य लक्षण है। इसमें निहित सिद्धान्त दोतरफा हैं। पहला यह कि कम्पनियां यह महसूस करेंगी कि इन दिशा–निर्देशों से सार्वजनिक रूप से जुड़ने में उन्हें अपेक्षाकृत लाभ होगा। दूसरे, अन्य पक्षों द्वारा स्थापित सिद्धान्तों और दिशा–निर्देशों को अपनाने से कम्पनियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी।

किन्तु, गतिशील कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रयासों के लिए सीधे दिशा–निर्देश तैयार करना इतना आसान नहीं होगा जैसे गैर–कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को अवकाश देना ताकि वे स्वयंसेवी संगठनों की सहायता कर सकें, या रोजगार के लिए अपंगों या उपेक्षित लोगों की तलाश करना। इसके अलावा, भ्रष्टाचार जैसे गुप्त व्यवहार के चलते निन्दा या प्रशंसा की तकनीक भी कारागर सिद्ध नहीं होगी।

कुल मिलाकर निगमों को मानवाधिकारों के प्रति उत्तरदायी बनाने के प्रयासों को सीमित सफलता ही मिली है। सस्ते वेतन पर काम करने वाले मज़दूरों का दोहन करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से छुटकारा पाने में गरीब देशों के निगमों और सरकारों का समान हित रहा है। निगमों की गतिविधियों पर निगरानी रखना बड़ा कठिन है, खासकर उस स्थिति में जबकि वे काफी काम बाहर से करा लेते हैं। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह पता चलता है कि निगम या सरकार अपनी तरफ से स्वयं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, इसका खास उदाहरण जापानी कम्पनियों के मामले में देखा जा सकता है। उन्होंने कल्याण संबंधी वे नीतियां हाल के वर्षो में या तो छोड़ दी हैं अथवा कम कर दी हैं, जिनके लिए वे विश्वभर में जानी जाती रही हैं।

आने वाले समय में मानवाधिकारों पर बुरा असर डालने वाली निगमों की नीतियों और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लेना होगा। ऐसी कोई सैद्धांतिक या व्यावहारिक वजह नहीं है कि निगमों को मानवाधिकार कानूनों के दायरे मे ंन लाया जा सके। वास्तव में, मानवाधिकारों से सम्बद्ध सार्वभौम घोषणा में एक सामान्य सिद्धान्त दिया गया है, जिसके अनुसार ''समाज का प्रत्येक व्यक्ति और *अंग* (बल दिया गया) इस बात के लिए प्रयास करेगा कि उनके सार्वभौम मानवाधिकारों को मान्यता मिले और उनका पालन किया जाये।'' किन्तु, मानवाधिकारो के संरक्षण और प्रोत्साहन का जो दायित्व राष्ट्रों को सौंपा गया है, उसे तभी पूरा किया जा सकेगा जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कम्पनियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करेगा। कभी–कभी कोई संधि राष्ट्रों से तत्काल अपेक्षा करती है कि वे इस तरह के आचरण पर नियंत्रण करें, जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने संबंधी समझौता (सी ई डी ए डब्ल्यू) राष्ट्रों से अपेक्षा करता है कि वे ''किसी भी व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें''।[312] इसी तरह भोजन के अधिकार के बारे में आई सी ई एस सी आर में कहा गया है कि ''राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की गतिविधियां आहार के अधिकार के अनुरूप हों''।[313]

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

लाभार्थी

वर्तमान में कुछ खास समूह हैं जिनके अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के ढांचे के मौजूदा नियमों में समुचित मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इनमें दो समूह वृद्धों और मूलनिवासियों के हैं।

वृद्धों की विशिष्ट स्थिति, खासकर ऐसे वृद्ध जो गरीब हैं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सोच–विचार का विषय होना चाहिए। फिलहाल, वृद्धों के अधिकारों के बारे में कोई समझौता नहीं है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने वृद्धों के लिए कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार किया था, जो बाध्यकारी नहीं थे। इनमें गरीबी को कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है और सन् 2015 तक वृद्ध जनों में गरीबी को 50 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य तय किया गया है।[314] सन् 2002 में हुए वृद्धावस्था पर विश्वसम्मेलन की तैयारी के अन्तर्गत 'उत्पादक वृद्धावस्था' (productive ageing) की अवधारणा प्रस्तावित की गई जिसके आधारभूत मानदंड, खासकर वृद्धों के अधिकारों के बारे में मानदंड तय किए गए। उन्हें निष्क्रिय पीड़ित व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज में योगदान करने वाले सदस्यों के रूप में देखा जाये, और उनकी स्थिति के अनुसार खास देखभाल और अधिकारों की गारंटी दी जाये।

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मूलनिवासी समुदायों के अधिकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1991 के 'स्वतंत्र देशों में मूलनिवासी और जनजातीय लोगों के अधिकारों से सम्बद्ध समझौते (ILO Convention Concerning Indigenous & Tribal Peoples in Independent Countries 1991) के तहत अनुशासित हैं। हालांकि 1957 के समझौते की तुलना में 1991 का समझौता काफी आधुनिक है, लेकिन इसकी आलोचना 'पैतृकतावादी'[315] कहकर की गई है और इससे संबंधित बातचीत में मूलनिवासी लोगों की सीमित भागीदारी थी। मानक निर्धारित करने की एक अन्य प्रक्रिया : मूलनिवासी जनों को मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के मसौदे [316] (Draft UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) में इन खामियों को दूर किया जाना था। इस घोषणा में उनके आत्मनिर्णय का अधिकार शामिल किया गया। इसके अन्तर्गत वे मुक्त रूप से अपना राजनीतिक भाग्य निर्धारित कर सकते है और स्वतंत्र रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं।''[317] आत्मनिर्णय का सिद्धान्त उन्हें उनके आन्तरिक और स्थानीय मामलों में स्वायत्तता या स्वशासन का अधिकार'' प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों और गैर–सदस्यों के प्रवेश पर नियंत्रण का अधिकार शामिल है।[318] यह घोषणा उनके ''सामूहिक अधिकारों''[319] और विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है।[320] घोषणा का मसौदा काफी सक्षम है, और फिलहाल विचाराधीन है। विश्व समुदाय के देशों द्वारा उसका अनुसमर्थन अभी होना है।

हस्ताक्षरों की स्थिति

14 जून 2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रमंडल के निम्नांकित देशों ने आईसीईएससीआर पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही उसकी पुष्टि की हैः ऐंटीगुआ और बारबुड़ा, बहामास, बोत्स्वाना, ब्रूनेई दारूस्सलाम, कूक आइलैंड, फीजी, किरिबाटी, मलेशिया, मालदीव, मोज़ाम्बिक, नौरू, पाकिस्तान, पापुआ न्यूगिनी, सैमोआ, सिंगापुर, सैंट किट्स और सेंट नेविस, सेंटलुसिआ, स्वाज़ीलैंड, टोंगा, तुवालु और वानुआतू। उपरोक्त तारीख तक दक्षिण अफ्रीका और बेलिज ने हस्ताक्षर तो किए, लेकिन पुष्टि नहीं की थी।[321] राष्ट्रमंडल के अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने आईसीईएससीआर पर हस्ताक्षर आपत्तियों या शर्तों के साथ किए हैं। अनेक आपत्तियों का संबंध प्रसूतिलाभों और पुरूष तथा महिला को समान दिहाड़ी दिए जाने के बारे में हैं (बारबेडोस, केन्या, न्यूज़ीलैंड, ब्रिटेन)।

हरारे घोषणा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों ने इस बात की फिर से पुष्टि की कि राष्ट्रमंडल की विशेष शक्ति इसके सदस्यों की विविधता और सांझी भाषा, संस्कृति और कानून के शासन (rule of law) की परंपराओं के बीच संयोजन में है। अभी तक केवल एक राष्ट्रमंडल देश, फीजी ने 1991 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और गिनी–चुनी राष्ट्रमंडल सरकारों ने मूलनिवासी लोगों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के मसौदे को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है।

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन मूलनिवासी लोगों के अधिकारों और संस्कृतियों को परिभाषित करने और उनकी रक्षा करने में जी–जान से जुटे हैं और उनके खिलाफ जातिगत और नस्लवादी भेदभाव समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन दुनिया के मूलनिवासी जनों की एक तिहाई आबादी वाले राष्ट्रमंडल का रवैया मूलनिवासी और जनजातीय लोगों के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है। मूलनिवासी जनों के खिलाफ

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

भेदभाव और जातिवाद समाप्त करने के लिए राष्ट्रमंडल देशों ने अलग–अलग खास नीतियां बनायी हैं, किन्तु इस मुददे पर राष्ट्रमंडलव्यापी प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रमंडल ने कोई ऐसा सैद्धान्तिक ढांचा भी तैयार नहीं किया है जो सदस्य देशों को स्थानीय स्तर पर उपयुक्त मूलनिवासी नीति तैयार करने में सहायता और प्रोत्साहन दे सके। राष्ट्रमंडल का कोई ऐसा प्रकाशन नहीं है जिसमें सदस्य देशों के मूलनिवासी लोगों की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन हो और राष्ट्रमंडल सचिवालय में ऐसा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं है जो उन्हें विशेष जानकारी, सहायता या समर्थन दे सके।[322]

मानवाधिकार –व्यवस्था का प्रतिरोध

राष्ट्रों को उस संधि निकाय का अनुशासन अवश्य मानना चाहिए, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हों।

मार्च 2000 में 'नस्लीय भेद भाव उन्मूलन समिति (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ने आस्ट्रेलिया में आदिवासियों (अबोरीजिनल्स) के अधिकारों के संबंध में आस्ट्रेलिया सरकार की आलोचना की। आलोचना में इस बात को उजागर किया गया था कि सरकार ने अतीत में आदिवासी बच्चों को उनके माता–पिता से जबरन अलग किए जाने पर खेद व्यक्त नहीं किया और इतना ही नहीं पिछले दो वर्ष से समिति को आस्ट्रेलिया यात्रा की अनुमति भी प्रदान नहीं की।

समिति की आलोचना को अनिवार्य समझने की बजाय आस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की जो संधि प्रणाली की अवमानना थी। विदेशमंत्री अलेक्ज़ेंडर डौनर ने कहा : ''जो लोग आस्ट्रेलिया सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है : क्या वे वास्तव में यह सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के लिए यह उचित है कि वह ऐसी बहस शुरू करे कि प्रधान मंत्री को 'अपहृत पीढ़ी (stolen generation) के बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए या नहीं? खास कर इस बात को देखते हुए कि समिति में क्यूबा , चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सदस्य भी हैं।'' आस्ट्रेलिया सरकार इस हद तक जा पहुंची कि उसने समझौते से हटने की धमकी तक दे डाली और संयुक्त राष्ट्र संधि–निकाय प्रणाली के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी ।[323]

इसी उदासीनता की वजह से, समझौते के लिए बहुत कम समर्थन जुट पाया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2000 में जिनेवा में कार्यदल की छठी बैठक में मात्र 9 राष्ट्रमंडल देशों ने हिस्सा लिया। ये थे – आस्ट्रेलिया, बांगलादेश, कनाडा, भारत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन। छठी बैठक में घोषणा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में राष्ट्रमंडल सरकारों के शिष्टमंडलों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है : पहले वर्ग में वे देश शामिल हैं जो विचारणीय प्रारूप के सभी या कुछ अनुच्छेदों को स्वीकार किये जाने के पक्ष में हैं (पाकिस्तान), दूसरे वर्ग में खास अनुच्छेदों में वर्णित सिद्धान्तों का समर्थन करने वाले किन्तु वर्तमान पाठ में संशोधन की मांग करने वाले देश (न्यूज़ीलैंड, बांगलादेश और कनाडा), और तीसरे वर्ग में घोषणा में निहित मूलभूत सिद्धान्तों को चुनौती, खास कर, आत्म निर्णय की अवधारणा, मूलनिवासी जनों की भाषा और/या सामूहिक अधिकारों को मान्यता को चुनौती देने वाले (आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन) देश थे। छठी बैठक में सर्वाधिक सक्रिय राष्ट्रमंडल देशों में कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल थे। बांगलादेश और पाकिस्तान बहुत ही कम सक्रिय थे, जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका चुप रहे। फीजी, केन्या और नाइजीरिया के सरकारी शिष्टमंडल, जिन्होंने पिछले अधिवेशन में हिस्सा लिया था, बैठक में मौजूद नहीं थे।

गरीबी दूर करने के प्रति वचनबद्धता

तंत्र का निर्माण

सदस्य राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों और प्रसंविदाओं पर बिना किसी प्रतिबंधात्मक घोषणाओं और उनके अनुरूप दायित्वों का निर्वाह करने के लिए स्वदेशी कानूनो में संशोधन की शर्त के साथ हस्ताक्षर किया जाना, समझौतों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट करने और संबंधित करारों पर हस्ताक्षर करने की सहमति, जिससे अलग–अलग राष्ट्रों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई की जा सकती है, आदि ऐसे तथ्य हैं जो मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता के स्पष्ट संकेत हैं। किन्तु अभी भी कुछ राष्ट्रमंडल देश हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों खासकर आई सी ई एस सी आर के प्रति औपचारिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में संकोच कर रहे हैं।

संस्थान और प्रक्रिया निर्माण

सी ई एस सी आर के पर्यवेक्षीय कार्य में राष्ट्रों की वचनबद्धता की विशेष आवश्यकता है ताकि उसके हाथ मज़बूत किए जा सकें। इसे संसाधनों के अभाव और विशेषज्ञ स्टॉफ की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समिति स्वतंत्र रूप से शिकायतें प्राप्त नहीं कर सकती।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

विधिवेत्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission of Jurists) ने कहा है कि "अगर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को हासिल करने के गंभीर प्रयास करने हैं तो विधिशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण संगठन विकसित करना अपरिहार्य है, जो अलग– अलग मामलों की पड़ताल की व्यवस्था से विकसित किया जा सकता है।" प्रकरण–आधारित कानून विकसित करने वाली व्यक्तिगत शिकायत प्रणाली की स्थापना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के वास्तविक अर्थ और सीमाओं को परिभाषित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। सन् 1993 के विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में आई सी ई एस सी आर को एक ऐच्छिक शिकायत कार्यप्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया था– जिससे व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने की व्यवस्था बन सके।[324] करार के प्रारूप पर फिलहाल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग विचार कर रहा है।[325] आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस करार पर हस्ताक्षर होना और इसका अनुसमर्थन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अगर राष्ट्रमंडल एक संगठन के नाते सदस्य देशों में गरीबी दूर करने के प्रति गंभीर है, तो उसे इस ऐच्छिक करार को देशों द्वारा शीघ्र अपनाए जाने का समर्थन करना चाहिए।

कारगर निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए समिति की प्रणाली को राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। समिति के फैसलों और रिपोर्टों को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्यों को हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसका अभिप्राय है कि सदस्य राष्ट्र समिति को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें, आलोचना के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाएं और वास्तव में अपने यहां मूल्यांकन के लिए समिति को आमंत्रित करें, ताकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन, हमेशा ऐसा नहीं होता।

यहां भी राष्ट्रमंडल को अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। इसकी मानवाधिकार इकाई (Human Rights Unit) यह सुनिश्चित कर सकती है कि समिति की सामान्य टिप्पणियों और देश द्वारा की गई टिप्पणियों का अधिकतम प्रचार कराया जाये और रिपोर्टों के संदर्भ में दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों की समीक्षा की जाये और राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे उन मानकों का अधिक ध्यानपूर्वक पालन करें, जिन पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है।

राष्ट्रमंडल की स्वयं की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। विदेशमंत्रियों से बनी इस निगरानी व्यवस्था को कोई स्थाई सचिवालय अथवा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रमंडल मंत्रीस्तरीय कार्यदल (Commonwealth Ministerial Action Group - सी एम ए जी) ने फैसला किया है कि वह सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में नहीं बोलेगा। ऐसा करके सी एम ए जी ने राष्ट्रमंडल के उन मूलभूत सिद्धान्तों की उपेक्षा की है, जिनमें कहा गया था कि "विश्व के बहुसंख्य लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक और सामजिक विकास महत्वपूर्ण और अनिवार्य है और इसके लिए ज़रूरी है कि सदस्य देशों के बीच जीवन स्तरों में विद्यमान व्यापक असमानताएं दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जायें।" इन सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि करते हुए हरारे घोषणा में संकल्प व्यक्त किया गया कि राष्ट्रमंडल विशेष रूप से "मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए विकास के लाभों का विस्तार" करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए" नए उत्साह" के साथ कार्य करेगा। उच्च स्तरीय समीक्षा समूह (High Level Review Group - एच एल आर जी) को सी एम ए जी के फैसले का पुनरीक्षण करते समय सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने की सी एम ए जी की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश करनी चाहिए। सी एम ए जी का कोई विशेषज्ञ न होने के कारण यह स्वयं सदस्य राष्ट्रों द्वारा मूलभूत सिद्धान्तों का अनुपालन करने की स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर सकता। इस संदर्भ में एच एल आर जी को ब्रिस्बेन में शासनाध्यक्षों से सिफारिश करनी चाहिए कि सचिवालय सी एम ए जी द्वारा समय–समय पर सदस्य राष्ट्रों में इस बात की समीक्षा की व्यवस्था करे कि वे अपने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति कितने वचनबद्ध हैं। सी एम ए जी के लिए मिनी सचिवालय में मानवाधिकार इकाई का प्रावधान हो और उसका नेतृत्व मानवाधिकारों से सम्बद्ध राष्ट्रमंडल उच्चायुक्त द्वारा किया जाये, या ऐसा न होने पर स्वयं महासचिव (Commonwealth Secretary General) इसका नेतृत्व करें।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारों का ढांचा और सी एम ए जी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानवाधिकार लागू करने में वे कभी भी एक विशिष्ट या अंतिम उपाय नहीं हो सकते। अधिक महत्वपूर्ण है घरेलू स्तर पर अधिकारों को लागू करना। घरेलू स्तर पर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढावा देने के माध्यमों के अन्तर्गत ऐसे मानवाधिकार आयोग, जो कारगर हों और जिन तक आसानी से पहुंचा

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

जा सके, और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए लोकायुक्त (Ombudsman) की नियुक्ति जैसे उपाय शामिल किए जाने चाहिए। इन उपायों से अधिकारों के लिए मज़बूत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी–जो सामान्यतः पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण प्रशासन प्रणाली और सरकार में भी संभव हो सकता हैं।

यह भी ज़रूरी है कि सदस्य राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अपने संविधानों में पूर्ण न्यायोचित मानवाधिकारों के रूप में शामिल करें या नई न्यायिक व्याख्या के तहत उन्हें कानून से जोड़ने की व्यवस्था करें।

अनेक लोगों, खासकर गरीबों के लिए, अदालत तक पहुंचना आज भी एक अंतिम उपाय ही है। किन्तु कानूनी सहायता और अन्य उपायों से, यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों जैसे समुचित मंच सभी को उपलब्ध कराये जायें।

अदालतों को भी अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। सभी राष्ट्रमंडल देशों में विस्तार से लागू होने वाली विभिन्न सामान्य विधि व्यवस्था (common law system) अपनी प्रभावशीलता के लिए न्यायपालिका पर निर्भर है। अदालतें आम तौर पर प्रक्रिया संबंधी मानदंड निर्धारित करती हैं। पिछले 20 वर्षों में हमने देखा है कि अनेक देशों के न्यायालयों ने बड़े पैमाने पर आधारों का विस्तार किया है जिनके जरिए समाज के गरीब और उत्पीड़ित क्षेत्र के लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय से प्रारंभ हुआ 'जनहित याचिका आंदोलन' (public interest litigation movement) अब वहां की निचली अदालतों तक पहुंच गया है और बांगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सहित कई अन्य देशों के न्यायायलों ने इसे अपनाया है। इसके कुछ सबसे उपयोगी सिद्धांतों को दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी सम्मिलित कर लिया गया है।

राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार आयोगों का विकास जहां इस बात का प्रतीक है कि किसी देश की छवि के लिए मानवाधिकार कितने उपयोगी हैं, वहीं इस बात का भी संकेत देता है कि मानवाधिकारों का अधिकाधिक उल्लंघन होने लगा है। मानवाधिकार आयोग किसी राष्ट्र की सीमाओं के अंदर नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षण व बढ़ावा देने के मूल उद्देश्य से गठित स्वतंत्र संवैधानिक या वैधानिक संगठन हैं। अपने को सौंपे गए कार्यक्षेत्र के अनुसार मानवाधिकार आयोग गरीबी उन्मूलन में कई तरह से मदद कर सकते हैं। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच–पड़ताल कर इसकी रोकथाम के लिए उपाय सुझा सकते हैं। लोगों में जागृति पैदा करने और इसे बढ़ावा देने में योगदान कर सकते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करके यह पता लगा सकते हैं कि ये किस सीमा तक इनको बढ़ावा देती हैं और कितना इनके उल्लंघन से बचती हैं। जहां न्यायालयों तक पहुंचना कठिन है, बहुत दूर हैं, कानून जटिल हैं और कानूनी प्रक्रियाएं धीमी और महंगी हैं, ऐसे देशों में तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। आम लोगों की पहुंच के दायरे में आने वाले सुदृढ़ आयोग गरीबों को और अधिक सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

घाना, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया और नामीबिया के अलावा कई अन्य देशों के मानवाधिकार आयोगों को सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के बारे में विशेष रूप से जांच–पड़ताल करने का दायित्व सौंपा गया है। मज़बूत आयोगों से सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के लक्ष्य को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, घाना के मानवाधिकार आयोग को जो मामले मिले हैं, उनमें से अधिकतर सामाजिक–आर्थिक अधिकारों से वंचित किये जाने या भेदभाव से संबंधित मामले हैं। सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की रक्षा के संवैधानिक आदेश का अनुपालन करते हुए आयोग ने स्वर्ण खनिज की खुदाई के कारण काफी बड़े इलाके में हुई बरबादी से पर्यावरण संबंधी अधिकारों के उल्लंघन की जांच की है। इससे जल–स्रोत प्रदूषित हुए हैं, खेती वाली जमीन बरबाद हुई और कई समुदाय बेघर हो गये। आयोग ने इस खराबी के प्रकार और विस्तार का पता लगाने, इससे प्रभावित लोगों की परेशानियों को उजागर करने और उपचारात्मक व निवारणात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से सार्वजनिक सुनवाई के लिए गैर–सरकारी संगठनों और मज़दूर संघों के साथ सहयोग किया है।

एस ए पीज़ से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तरफ भी आयोग ने लगातार ध्यान आकृष्ट किया है और गरीबों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करने वाली 'दाम दो, सेवा लो' प्रणाली को समाप्त करने की वकालत की है। इस प्रणाली को पूरी तरह बदलने की हाल की घोषणाओं से संकेत मिलता है कि आयोग सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की रक्षा में सक्षम हो सकता है। भ्रष्टाचार

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

के खिलाफ काम करने वाले संगठन के रूप में घाना का आयोग भ्रष्टाचार को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघना मानता है क्योंकि इस तरह के कार्यों से सरकारें गरीबों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में काम आने वाले धन से वंचित रह जाएगी, खास तौर पर विकासशील देशों की सरकारें, जिनके संसाधन पहले से ही बहुत सीमित हैं।

दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार आयोग को जैसी सुदृढ़ संवैधानिक स्थिति प्राप्त है उससे इसे आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा में महत्वूपर्ण भूमिका मिल गयी है। यह भूमिका अनुकरणीय है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान में अपेक्षा की गयी है कि राज्य के विभिन्न अंग हर साल आयोग को उन उपायों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने आवास, स्वास्थ्य–रक्षा, आहार, जल, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाए हैं।[326] आयोग को न्यायिक उपायों से इस प्रकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार है। आयोग ने सरकारी संगठनों को प्रश्नावलियां भेजने का सिलसिला शुरू किया है। इन प्रश्नावलियों को 'प्रोटोकॉल' कहा जाता है और इनमें सामाजिक–आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत सूचना मांगी जाती है। प्रोटोकॉल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कमज़ोर वर्गों या कच्ची बस्तियों में रहने वालों, बेघर लोगों, महिला–मुखिया वाले परिवारों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों, अतीत में नस्लीय भेदभाव से प्रभावित लोगों को सामाजिक–आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में खास तौर पर जानकारी मांगी जाती है। इन रिपोर्टों के माध्यम से आयोग सरकारी विभागों और संगठनों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करता है और अपने निष्कर्ष प्रकाशित करता है। वह कामकाज में लगातार सुधार के लिए सरकार की जवाबदेही भी तय करता है।

किस का हुक्म चलता है ...

- 1992 में कैमरून के उत्तर–पश्चिमी प्रांत में आपात स्थिति के बारे में गोपनीय रिपोर्ट में सरकार द्वारा हेराफेरी की आयोग द्वारा आलोचना किये जाने पर, दो साल तक आयोग को दी जाने वाली धनराशि में भारी कटौती कर दी गयी।
- ज़ाम्बिया में धन की कमी का पहले से सामना कर रहे आयोग को उस परिसर से हाथ धोना पड़ा जो उसे देने का वादा किया गया था। कारण यह था कि आयोग ने 1996 के तख्तापलट के आरोप में बंदी बनाए गए लोगों को यातनाएं दिए जाने पर टिप्पणी की थी।[327]

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राष्ट्रमंडल देशों समेत पूरे विश्व में मानवाधिकार की स्थापना के लिए काफी कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से निर्धारित पेरिस–सिद्धांत (Paris Principles) नाम के दिशानिर्देशों में वे सिद्धांत बताये गये हैं जिनका पालन करके आयोगों को सरकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण से मुक्त होकर स्वायत्तापूर्वक कार्य करने में बड़ी मदद मिलेगी।

लेकिन राष्ट्रमंडल देशों के अधिकतर मानवाधिकार आयोग बड़ी नाजुक संस्थाएं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारों ने इन आयोगों का गठन बहुत अनिच्छा से किया है। पांच साल के विचार–विमर्श के बावजूद, बांगलादेश में कोई मानवाधिकार आयोग गठित नहीं हो पाया है। इसके अलावा, कार्यपालिका की ओर से बजटसंबंधी नियंत्रणों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम स्टाफ की कमी, जांच–पड़ताल की अपर्याप्त व्यवस्था और आयोगों का कार्यक्षेत्र सीमित रखकर सरकारें आयोगों पर कड़ा नियंत्रण रखती हैं। इतना ही नहीं, आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्ति निष्पक्ष सार्वजनिक प्रक्रिया से नहीं की जाती, बल्कि यह एक निजी समझौते के रूप में की जाती है और ऐसे व्यक्ति को आयुक्त बनाया जाता है जो सरकार की हां में हां मिलाता हो।

केवल मानावाधिकार आयोग गठित कर देने भर से यह नहीं कहा जा सकता कि माानवाधिकारों के लिए सम्मान बढ़ा है। न इससे इस लक्ष्य के प्रति सरकार की किसी प्रामाणिक बचनबद्धता का पता चलता है। मानवाधिकारों के लिए पहले से प्रतिकूल माहौल में कमज़ोर आयोग भी अक्सर मानवाधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वे व्यवस्था में निराशा और अविश्वास उत्पन्न करते हैं और मावाधिकारों की अवधारणा को उसी तरह बदनाम कर देते हैं जिस तरह न्यायालयों में देरी और भ्रष्टाचार ने कुछ देशों में न्याय दिलाने की प्रणाली की क्षमता के बारे में आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं।

राष्ट्रमंडल को मानवाधिकार आयोग के गठन के सिलसिले में देशों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधिकार क्षेत्र, गठन और नियुक्ति के मानदंड पेरिस सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाते हों ताकि आयोग अधिकतम कारगर तरीके से कार्य कर सके।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

यह एक ऐसा कार्य है जो नयी चेतना से समन्वित एच आर यू द्वारा किया जा सकता है। एच आर यू का गठन ''राष्ट्रमंडल में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने'' और ''यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवालय में ही मानवाधिकारों को पूरा महत्व मिले'' किया गया था। सचिवालय के भीतर और बाहर मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्षेत्र न केवल सीमित है, बल्कि एच आर यू की हाल की परिस्थिति में न तो उसके पास यह मैंडेट पूरा करने के लिए ज़रूरी हैसियत है, ना पर्याप्त संसाधन।

जानने की कोई ज़रूरत नहीं

व्यापार और सहायता के बारे में ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों के साथ महत्वपूर्ण समझौते करने वाले राष्ट्र प्रतिनिधि मानवाधिकारों का मुखैटा खो देते हैं।

"...उसने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ बातचीत करते समय आई सी ई एस सी आर का कोई ज़िक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ बातचीत करने वालों को इस प्रसंविदा की कोई जानकारी ही नहीं थी। विदेश मंत्रालय को करार की जानकारी थी और हो सकता है कि विधि मंत्रालय को भी इसकी जानकारी रही हो। लेकिन न तो विदेश मंत्रालय और न विधि मंत्रालय ने विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कोई विचार विमर्श किया। इनके साथ किसने बातचीत की? वित्त मंत्रालय ने। लेकिन वित्त मंत्रालय ने तो सी ई एस सी आर के बारे में सुना ही नहीं था।

–एक किस्सा, पॉल हंट, सी ई एस सी आर के एक सदस्य

एच आर यू ने अतीत में अच्छा कार्य किया है, खास तौर पर सरकारी एजेंसियों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे अपनी सेवाओं के बारे में नियमित रूप से इतने अनुरोध प्राप्त होते हैं कि वह अक्सर उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। यह एक विडम्बना ही कही जा सकती है कि संसाधनों की कमी की समस्या का सामना कर रहे एच आर यू की मेनस्ट्रीमिंग के नाम पर कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी की गयी है और अब यह हालत है कि इसमें केवल दो पद बचे रह गये हैं। 1993 में एच आर यू का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इसमें जहां सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण योजना की आलोचना की गयी, वहीं जोरदार तरीके से यह अनुरोध भी किया गया कि एच आर यू का विकास किया जाना चाहिए। एक समय था जब यह राष्ट्रमंडल के 'राजनीतिक मामलों के प्रभाग' (Commonwealth Political Affairs Division) से संबद्ध था, लेकिन अब यह 'कानूनी और संवैधानिक मामलों के प्रभाग' (Commonwealth Legal & Constitutional Affairs Division) का हिस्सा है। इसको जो निचला दर्जा दिया गया है उससे तो मानवाधिकारों के प्रति राष्ट्रमंडल की वचनबद्धता की पोल खुल जाती है।

सी एच आर आई का मानना है कि एच आर यू राष्ट्रमंडल के मानवाधिकार संबंधी दावों को सच साबित करने की क्षमता रखता है। इसने *राइट्स मस्ट कम फ़र्स्ट* नाम की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की थी जिसमें बताया गया है कि यह कार्य किस तरह किया जा सकता है। सी एच आर आई की सिफारिशों में जो बातें शामिल हैं, वे हैं : एच आर यू के लिए अलग से वार्षिक न्यूनतम बजट होना चाहिए; इसे सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए; इसे अपने वर्तमान वित्तीय आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि और विस्तार करना चाहिए और इसके लिए दानदाताओं के अलावा अन्य स्रोतों से धन जुटाना चाहिए तथा साथ ही सलाहकारों व परामर्शदाताओं की मदद से निजी संसाधन भी बढ़ाने चाहिए। सचिवालय के अधीन स्वतंत्र और स्थायी संगठन के रूप में इसे अपनी ऐसी हैसियत सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें वह महासचिव के प्रति सीधे उत्तरदायी हो तथा सभी प्रभागों से सीधा सम्पर्क कर सके। उसे मानवाधिकारों के बारे में अपना खुद का आकलन करके इसे सी एम ए जी को भी भेजना चाहिए और रचनात्मक समालोचक की भूमिका निभानी चाहिए। इसे एक ऐसी प्रणाली बनना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि मानवाधिकार सचिवालय और उसके तमाम प्रभागों के समस्त कार्यक्रम मानवाधिकारों की ओर उन्मुख हैं। उसे सचिवालय के कामकाज और मानवाधिकारों के प्रति उसकी वचनबद्धता का मूल्यांकन सुशासन के उसी मानदंड के आधार पर करना चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करते समय अपनाया जाता है। इससे एच आर यू पर सचिवालय में मानवाधिकारों के कारगर तरीके से विकास का उत्तरदायित्व भी रहेगा और इसमें मानवाधिकार संस्कृति को सही अर्थों में संस्थागत रूप देने की क्षमता विकसित होगी। इस तरह, यह इसे समूचे राष्ट्रमंडल में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

अधिकारों की संस्कृति का निर्माण

मानवाधिकारों की इस 'संस्कृति' पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। सच्चे अर्थों में सुशासन का लक्ष्य केवल कुशल या भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार या लोकतांत्रिक सरकार होने से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र को कारगर बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे मानवाधिकारों की अवधारणा का सहारा मिले। सूचना की आजादी, स्वतंत्र जनसंचार माध्यम, अभिव्यक्ति और संगठन बनाने की आजादी, सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी का आश्वासन और जागरूक नागरिक समाज लोकतंत्र संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं। इन्हीं से कोई सरकारी प्रणाली गरीबी के मुद्दे पर उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कार्य कर सकती है।

ऐसा शासन जो अधिकारों की व्यवस्था पर आधारित हो और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करने जैसे आम मूल्य समाहित हों, वह इस रिपोर्ट के पूवार्ध में बताई गयी महत्वपूर्ण मानवीय समस्याओं को कारगर तरीके से सुलझाने में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इसी कारण, यह ज़रूरी है कि मानवाधिकार दूरदराज़ के कुछ गिने–चुने कर्ताओं या संस्थाओं के दायरे में सीमित होकर न रह जाएं, बल्कि उन्हें किसी राज्य की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बनाने की प्रक्रिया और जनचेतना में भी स्थान मिले। लेकिन अधिकांश देशों में जो कुछ अभी किया जाना बाकी है, वह यह है कि सरकार और समाज का प्रत्येक वर्ग उन मूल्यों, ज्ञान और साधनों को आत्मसात करे जो मानवाधिकारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

किसी देश में मानावाधिकारों की संस्कृति के विकास के कई तरीके हो सकते हैं। मानवाधिकारों के बारे में सरकार और इसकी विभिन्न एजेंसियों को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे उनके रोजमर्रा के कामकाज में मानवाधिकारों का समावेश होगा और नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में वास्तव में भागीदार बनाने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसमें कानूनी तौर पर सूचना के अधिकार का सहारा मिलना चाहिए। सूचनाएं न सिर्फ मुक्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, बल्कि समूची जनता

जन–शक्ति

भारत में राजस्थान में सूखे से अक्सर पीड़ित एक गांव में सरकार ने काम के बदले अनाज योजना शुरू की। गांव के ज्यादातर लोग अपनी रोज़ी–रोटी के लिए इसी योजना पर निर्भर थे। सरकार ने गांव के जिन लोगों को सड़कें, सामुदायिक भवन और स्कूलों की इमारतें बनाने, कुंए और छोटी नहरों की खुदाई जैसी स्थानीय विकास परियोजनाओं में दैनिक वेतन मज़दूर के रूप में अनुबंध पर रखा, उन्हें जीवन निर्वाह भर की मज़दूरी मिलती थी। लेकिन ठेकेदार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मज़दूरों का शोषण करते थे। हालांकि उन्हें व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी थी, मगर उनके पास इसे साबित करने या विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अपना हक मांगने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन ठीक समय पर एक स्थानीय गैर–सरकारी संगठन की मदद से गांव वालों ने प्रशासन से सवाल करने शुरू कर दिये और विकास कार्य, काम पर लगाए गये मजदूरों और अनुमानित व वास्तव में हुए खर्च का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया। गांव वालों का कहना था कि सरकार सार्वजनिक धन का किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है, यह जानना उनका हक है।

स्थानीय प्रशासन ने पहले तो ऐसे सवालों का विरोध किया, मगर लगातार मांग के बाद उसे खर्च और रोज़गार के बारे में दस्तावेज़ी सुबूत पेश करने पड़े। गांव वालों को शीघ्र ही इस बात का सुबूत मिल गया कि किस तरह पैसा हड़पा जा रहा था। किस तरह फर्ज़ी नाम जोड़ कर रोज़गार का ब्योरा तैयार किया जा रहा था और ऐसी परियोजनाओं के लिए खर्च दिखाया जा रहा था जो शुरू हुए बिना ही कागजों में पूरी कर ली गयी थीं। इस घोटाले को उजागर करने और हड़पी गयी रकम की वापसी के लिए गांव वालों ने कई जन सुनवाई आयोजित कीं। उन्होंने अपनी मज़दूरी पूरी देने और विकास का पैसा लौटाने की भी मांग की। कुछ मामलों में जनता में बदनामी के डर से इस तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगी और अधिकारियों ने हड़पी हुई बड़ी राशि लौटा दी। धीरे–धीरे, सूचना की मांग के मुद्दे ने जोर पकड़ा और इसने राज्यव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को मजबूर होकर लोगों को सूचना के अधिकार की गारंटी देने वाला कानून बनाना पड़ा। मगर लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। कानून बन जाने के बावजूद, आज भी सरकार में गोपनीयता की जो स्वाभाविक संस्कृति चली आ रही है उससे नागरिकों के मुक्त रूप से सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकार में बाधा उत्पन्न हुई है।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

में बड़े पैमाने पर इनका प्रसार किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के एक हिस्से के रूप में और समूचे समाज को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करने के प्रयास के तौर पर, दोनों ही तरीकों से इसका प्रसार आवश्यक है। इस तरह मानवाधिकारों के ढांचे को मज़बूत करने और इसे सहारा देने में नागरिक समाज को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

मेनस्ट्रीमिंग

यह महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि न केवल सरकारी अधिकारी, बल्कि बहुपक्षीय कर्ज़दाता संस्थान भी मानवाधिकारों के संदर्भ में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को जानें। अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी का मतलब है कि विश्वस्तर पर स्वीकार्य मानवाधिकार संबंधी मूल्यों

आपने कर तो दिखाया, अब अपनी राय दीजिए

कानून के निर्माण – चाहे संविधान बनाना हो या संविधान की समीक्षा हो अथवा कोई नया कानून बनाना हो – में हर स्तर पर विभिन्न पृष्ठभूमि व हितों वाले लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

रंगभेद आधारित व्यवस्था से लोकतंत्र में तब्दील होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपना संविधान बनाते समय जानबूझ कर बड़ी जटिल और जनोन्मुख प्रक्रिया अपनायी। पहली चुनौती तो यही थी कि उन गरीबों, अनपढ़ लोगों और दूरदराज़ के उन लोगों की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए जिनकी कोई बात अब तक नहीं सुनी गयी थी। संविधान सभा का काम शुरू होने से ठीक पहले एक मीडिया अभियान चलाया गया ताकि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, जिसके नतीजों का सब पर असर होगा और हर एक को इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। समुदाय आधारित राजनीतिक नेटवर्क, स्कूलों में सभाओं, गिरजाघरों में सभाओं, लोकप्रिय रेडियो और टेलीवीजन कार्यक्रमों, निबंध प्रतियोगिताओं, परम्परागत नृत्य और नाटकों से इस संदेश के प्रचार–प्रसार में बड़ी मदद मिली। विभिन्न गतिविधियों के ऊपर 'कॉन्स्टीट्यूशनल टॉक' यानी संवैधानिक बहस शब्द ब्रांड नाम की तरह लिख कर प्रदर्शित किये गये और इसी नाम से एक न्यूजलैटर का भी खूब वितरण किया गया। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अनुरोधों, इसकी कार्रवाई का वृत्तांत, प्रारूप और राय को डेटाबेस के रूप में एक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। इसपर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। 10,000 लोगों ने शुल्क मुक्त संविधान हॉटलाइन के जरिए संपर्क कर अपने विचार बताए। 17 लाख प्रतिक्रियाएं और सुझाव प्राप्त हुए जिनमें से 11,000 उपयोगी थे। देश भर में आसानी से पढ़े जाने योग्य संविधान के मसौदे की 50 लाख प्रतियां बांटी गयीं और कुछ खास मुद्दों पर लोगों की राय जानने के लिए एक अन्य मीडिया अभियान चलाया गया। इस पर भी संविधान सभा को 2,50,000 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। अंत में जब आलेख तैयार हो गया तो सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक मल्टीमीडिया अभियान बनाया गया। ''सीक्योरिंग योर फ्रीडम'' यानी आपकी आज़ादी के लिए, ''सीक्योरिंग योर राइट्स'' यानी आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, ''द न्यू कॉन्स्टीट्यूशन''(नया संविधान) और ''वन ला फॉर वन नेशन'' (एक देश एक कानून) जैसे विज्ञापन वाले नारों से लोगों को नये कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी। अंत में जब संविधान बन गया तो लोगों को इस समूचे प्रयास के मतलब के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय संविधान सप्ताह के दौरान जब उन्हें इसका मतलब समझाया गया तो उनके मन में संविधान के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन से पता लगा कि मीडिया के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के करीब 65 प्रतिश वयस्क लोगों से संपर्क किया गया था।

युगांडा ने पूरा एक साल यह पता लगाने में बिता दिया कि क्या लोग नया संविधान चाहते हैं, और इसमें क्या होना चाहिए? लोगों को मुद्दों को समझने में मदद के लिए पुराने संविधान का पुनर्मुद्रण किया गया। इसके साथ ही संवैधानिक मुद्दों के बारे में दिशानिर्देश जारी किये गये और संविधान सभा को सुझाव कैसे भेजे जाएं, यह बताने के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी। महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। देश की 167 तहसीलों में महिला नेताओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे अन्य महिलाओं तक पहुंच कर उनको जानकारी दे सकें। उनसे 25,000 सुझाव प्राप्त हुए। प्रत्येक सुझाव का सारांश तैयार किया गया और आयुक्तों के लिए इसका अनुवाद किया गया। महिलाओं की ओर से एक साझा ज्ञापन भी आयोग को दिया गया। इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए युगांडा सरकार ने तीन खंड प्रकाशित किये जिनमें आयोग को मिले सुझाव, इनका विश्लेषण, इस पर सिफारिशें और संविधान का प्रारूप दर्ज़ थे।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

के सामान्य ताने–बाने का पूरा–पूरा इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सहायता और ऋण संबंधी वार्ताओं में नहीं किया जा रहा है। इससे क्षमताओं की दृष्टि से असमान देश सुविधाओं का एकसमान लाभ नहीं उठा पाते जो कि इन देशों को बराबरी का हक दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी राष्ट्र–राज्य के मौलिक अधिकारों का घोषणापत्र (Bill of Rights) सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों में निष्पक्षता के सामान्य सिद्धांतों का आधार उपलब्ध कराता है। लेकिन जो लोग सत्ता में होते हैं, वे उनकी कम ही परवाह करते हैं।

सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि सभी सरकारी अधिकारी न केवल अपनी शक्तियों को समझें, बल्कि मानवाधिकारों तथा मानवीय विकास के बारे में अपनी जिम्मेदारियों का भी खयाल रखें। राष्ट्रमंडल के भीतर सभी जगह सरकारी अधिकारी ऐसी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं जो मानवाधिकारों संबंधी मूल्यों के बारे में जागरूक नहीं हैं या फिर उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देतीं। इसलिए उन्हें मानवाधिकारों संबंधी प्रशिक्षण देने की विशेष रूप से आवश्यकता है। अगर उन्हें मानवाधिकारों के बारे में औपचारिक रूप से शिक्षा उसी तरह परिश्रमी ढंग से दी जाती है जिस तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में, तो इससे घरेलू स्तर पर विकास नीतियों का कार्यान्वयन करने के उनके प्रयासों में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा तथा जिस बुनियाद पर वे अपने देश का प्रतिनिधित्व विदेशी मंचों में करते आ रहे हैं, उसमें भी मूलभूत रूप से बदलाव होगा।

एक बार इस प्रक्रिया के संस्थागत रूप ले लेने पर तो इस पर अमल करना आसान, कम समय लेने वाला और कम खर्चे वाला हो जाएगा। उपचार की तुलना में रोकथाम निश्चित रूप से बेहतर है। पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह बात स्वीकार कर ली है कि 'रोकथाम का सिद्धांत' बाद में होने वाले नुकसान से निपटने की बजाय कुछ हद तक अधिक कारगर और कुशल है। इसी तरह, सीधे न्याय और समानता लाने के प्रयास करने के बजाय, मानवाधिकारों और गरीबी उन्मूलन के लिए संस्थाओं को न्याय और समानता की धारणा के अनुरूप ढालना कहीं अधिक कठिन है। मीडिया, न्यायाधीशों, अध्यापकों, पुलिस, वकीलों और अन्य महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समूहों को साथ लेकर चलने के लिए तत्काल लक्ष्य बनाकर उपाय करने आवश्यक हैं। प्रतिरोध करने वाली व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर ले, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को उनके व्यावसायिक जीवन के मध्य में प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के आधार पर पुरस्कार के रूप में पदोन्नति देना एक कारगर तरीका हो सकता है।

कई साल पहले, ब्रिटेन सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए एक दस्तावेज तैयार किया था। इसका नाम था 'द जज ओवर युअर शोल्डर'। इसे इस तरह तैयार किया गया था कि जनसेवक कानून की दृष्टि से सही मार्ग का अनुसरण करने के बारे में सचेत रहें और उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा की नौबत न आने पाये। लेकिन न केवल नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की छानबीन की जानी चाहिए, बल्कि इस बात की भी जांच–पड़ताल होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण कानून अधिकारों की नयी व्यवस्था के अनुकूल हैं या नहीं। कुछ राज्यों ने मानवाधिकार संबंधी मानदंडों को विधिप्रणाली में प्रस्थापित करते समय इस बात का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है कि क्या मौजूदा कानून इन मानदंडों के अनुरूप है या नहीं।

भागीदारी

इस समय समुदाय पर सीधा असर डालने वाले सामाजिक कानून बनाते समय, अधिकतर राष्ट्रमंडल देशों की राजनीतिक–संस्कृति, 'विशेषज्ञों' के परामर्श या 'जाने माने लोगों' की राय तथा थोड़े बहुत संसदीय विचार–विमर्श पर आधारित होती है। आम जनता या प्रभावित समुदायों से व्यापक सलाह–मश्विरा करना बोझ समझा जाता है और अव्यावहारिक माना जाता है। अधिकतर राज्यों का मानना है कि केवल शिक्षित अभिजात वर्ग के पास बेहतर जानकारी है। ऐसे में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन विशिष्ट प्रक्रियाओं से अक्सर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो अपर्याप्त होते हैं और जिनसे काम नहीं चल पाता। ये जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, कानून के प्रति सम्मान को कम करते हैं और नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों से अलग करते हैं।

कुछ राष्ट्रमंडल देशों ने महत्वपूर्ण कानून बनाने से पहले व्यापक विचार–विमर्श की प्रक्रिया चलायी है। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका और युगांडा प्रमुख हैं। वैसे मानवाधिकारों के बारे में जानने के लिए यह प्रक्रिया ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सबको महत्व देने के

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

सिद्धांत को मान्यता देती है और विचारों की विविधता को भी महत्व प्रदान करती है। यह विरोधी विचारों को भी अपने साथ लेकर चलती है और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति का अवकाश प्रदान करती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में यह जनता को बताती है कि सीमाएं और छूटें क्या हैं और इस मुद्दे को लेकर चल रही बहस में कहां पर समझौता होता है। इस तरह, अंत में कानून जनता द्वारा मान्य और स्वीकार्य हो जाता है और इसे जटिल समस्या के सर्वसम्मत समाधान के रूप में मान लिया जाता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक–गाम्बिया में सन् 1997 में नागरिक शासन की बहाली के बाद राष्ट्रीय गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और सहभागितापूर्ण संचार प्रक्रियाओं को इसका आधार बनाया गया।[328]

लेकिन ऐसे प्रयोग बहुत कम और काफी समय के अंतराल से हुए हैं। बहुत से देश विकास के लिए नियंत्रण और निर्देशन के पुराने रास्ते पर चल रहे हैं और घिसेपिटे, अनुचित और अपवादों से भरे कानूनों की भरमार होती जा रही है। चाहे निकृष्ट प्रबंधन हो या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी हो, सरकारों को सुधार की आवश्यकता है।

राय–मश्विरे पर आधारित भागीदारी के अलावा, सरकारों को यह बात स्वीकार करने की आवश्यकता है कि शासन में वास्तविक जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करने की प्रक्रिया के तौर पर भी ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन सभी स्तरों पर, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय हित हों या राष्ट्रीय अथवा स्थानीय अभिजात लोग हों, सभी अभिजात वर्गों की ओर से अधिक जवाबदेही और परदर्शिता के मुद्दे पर जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस समय, राष्ट्रमंडल देशों में अधिकतर सूचना सार्वजनिक उपयोग के दायरे में तो रख दी गयी है, मगर यह लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसका काफी बड़ा हिस्सा गोपनीयता, वाणिज्य या सुरक्षा की दृष्टि से जनता से दूर रखा जाता है। लेकिन इसका बड़ा भाग इस लिए भी छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि आम जनता के हाथों में सूचना आ जाने से सत्ता के समीकरण बदल सकते हैं।

गरीबों के लिए सूचना अस्तित्व का सवाल है। सूचनाओं की कमी से जहां अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता और फायदे कम होते हैं, वहीं इससे उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुरक्षा भी कम हो जाती है। सूचनाओं तक पहुंच अन्य अधिकार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

सूचित करना

भागीदारी के लिए उपयुक्त माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रमंडल सरकारें प्रत्येक देश में सूचना के अधिकार के कारगर कानून की गारंटी दें। कई राष्ट्रमंडल देशों ने पहले ही ऐसे कानून बना लिए हैं और उनके द्वारा अपनाये जा रहे खुलेपन और सूचनाओं के प्रबंधन

कनाडा में वैकल्पिक बजट

कनाडा में "वैकल्पिक संघीय बजट' (alternative federal budget) तैयार करने की प्रक्रिया 1994 में प्रारंभ हुई थी। देश के श्रम, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी संगठनों और कई सामुदायिक संगठनों के 40 प्रतिनिधियों की एक सभा ने सन् 2000 तक वार्षिक बजट तैयार कर लिया। संबद्ध संगठनों ने यह प्रयास इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि संघीय और अन्य सरकारें अपने बजट को संतुलित करने की कोशिश में सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती करने पर जरूरत से ज्यादा जोर दे रही थीं। गठबंधन ने राय व्यक्त की कि इन बजटों में आम जनता के हितों का ध्यान रखने की बजाय अभिजात व्यावसायिक समुदाय की चिंताओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया था। विचार–विमर्श की व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से गठबंधन ने वैकल्पिक बजट तैयार किया जिसमें ऋणों और वार्षिक घाटे को कम करने की आवश्यकता का ध्यान रखने के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का भी खयाल रखा गया था।

यह बात खास तौर पर ध्यान देने की है कि कनाडा के वैकल्पिक बजट में रोज़गार के उससे कहीं अधिक अवसर बढ़ाने की बात कही गयी थी जितने कि संघीय सरकार के बजट में मुहैया कराने का वादा किया गया था। वैकल्पिक बजट की विशेषज्ञों ने स्वतंत्र रूप से जो समीक्षा की, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें मानवाधिकारों के प्रति तो सम्मान दिखाया ही गया था, यह आर्थिक दृष्टि से भी व्यावहारिक था। ऐसा बताया गया है कि 1998 के वैकल्पिक संघीय बजट का 150 से अधिक अर्थशास्त्रियों ने अनुमोदन किया था। इनमें कनाडा के सबसे अधिक सम्मानित वित्तीय विश्लेषक भी शामिल थे।[329]

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

संबंधी तौर–तरीकों का अनुसरण किया जा सकता है। कुछ अन्य देश इस तरह का कानून बनाने में या तो जरा भी रुचि नहीं ले रहे हैं या फिर पत्रकारों पर पाबंदियां लगाने और मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना चाहते हैं, जैसे कि जिम्बाबवे ने किया था। सन् 1980 में राष्ट्रमंडल के विधिमंत्रियों के सम्मेलन में सूचना की आजादी के महत्व को समझते हुए यह कहा गया था:

''सूचना की स्वतंत्रता के अनेक लाभ हैं। इससे लोग सार्वजनिक मामलों में आसानी से शामिल हो सकते हैं। आवश्यक सूचनाओं तक लोगों की पहुंच हो जाने पर, वे समझ–बूझ कर सही निर्णय कर सकते हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, निर्णय करने की प्रक्रिया में सुधार होता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बेहतर सूचनाएं प्राप्त होती हैं, नागरिकों के मन में सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में काफी मदद मिलती है। यह आजीविका और विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, खास तौर पर गरीबी और अधिकारहीनता की स्थिति में।''

इसके करीब दो दशक बाद, सन् 1999 में विधिमंत्रियों की बैठक में राष्ट्रमंडल सूचना के अधिकार के सिद्धांतों को मंजूरी दी गयी। सन् 1999 में डरबन में राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में समग्र राष्ट्रमंडल समिति (Commonwealth Committee of the Whole)ने इन सिद्धांतों पर गौर किया। उसके बाद सचिवालय ने आदर्श कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है।

मानवाधिकारों की शिक्षा

अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सार्वजनिक रूप से सूचना देने के लिए बहुत कम प्रयास हुए हैं। अधिकतर देशों में रेडियो और टेलीविज़न पर सरकार का एकाधिकार होने के बावजूद, ऐसा होना निश्चित रूप से एक बड़ी विफलता है। अधिकारों के बारे में सरकारों ने जिन ढेरों समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं और जो वायदे किये हैं, उन्हें देखते हुए सरकार के लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि प्रसारण समय के एक हिस्से का उपयोग लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सूचना देने के लिए किया जाए। कुछ सम्माननीय अपवादों को छोड़कर, अधिकांश सरकारें मानवाधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के साथ छुटपुट काम करके संतुष्ट हो जाती है। वे मानवाधिकारों को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए जनसंचार माध्यमों का जानबूझ कर उपयोग नहीं करना चाहती। यहां यह बताना गलत नहीं होगा कि इस आसान से उपाय का जानबूझ कर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि नौकरशाह इस विचार का विरोध करते हैं। वे भ्रमित होकर यह मानते हैं कि मानवाधिकारों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी देने से समाज में टकराव बढ़ सकता है। वे यह नहीं देख पाते कि इससे समाज में शांति और न्याय की नींव मज़बूत होती है।

1995 से 2004 तक का दशक संयुक्त राष्ट्र माानवाधिकार शिक्षा वर्ष है। सरकारों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे आम जनता को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करने की योजनाएं बनाएंगी और इस कार्य पर धन खर्च करेंगी। यह दशक अपने छठे वर्ष में पहुंच गया है और विभिन्न देशों में जो स्थिति है, उसकी मध्यावधि समीक्षा कोई खास उत्साहवर्धक नहीं है। कुछ एक मानवाधिकार आयोगों के प्रयासों को छोड़कर, व्यवस्थित रूप से ऐसा बहुत कम कार्य हुआ है जिसे महत्वपूर्ण सफलता कहा जा सके। अगर यह हालत है तो राष्ट्रमंडल देशों को अधिकारों की संस्कृति को आत्मसात करने के लिए अभी लम्बा रास्ता तय करना है। केवल कुछ ही सरकारों ने मध्यावधि समीक्षा करने की परवाह की है। इस संबंध में बड़ी तादाद में जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, वे गैर–सरकारी संगठनों की ओर से हैं।

आम जनता के लिए मानवाधिकार शिक्षा उपलब्ध कराने से, लम्बे समय से अधीनता की स्थिति के आदी बने लोगों को अपनी दशा के बारे में नये दृष्टिकोण से विचार करने का मौका मिलेगा। यह अपने आप में सशक्त बनाने वाली और परिवर्तनकारी बात है। मानवाधिकार आयोगों को हमेशा से जनता को मानवाधिकार की शिक्षा देने का विशेष अधिकार मिला हुआ है। उन्हें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि सरकारें अपने नियंत्रण वाले जनसंचार माध्यमों और कानून बनाने वाली प्रक्रिया का उपयोग कानून के लिए आदर की भावना उत्पन्न करने के लिए करें, न कि भय पैदा करने के लिए। स्कूली पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों को शामिल करना, अधिकारों पर आधारित संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा निवेश मानवाधिकारों की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है।

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

cyan black

मानवाधिकारों की संस्कृति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब इसे आत्मसात करें। नैतिक व्यक्ति नैतिकता के मानदंडों का उपयोग अपने व्यवहार पर लगातार निगरानी रखने के लिए करते हैं। इसी तरह सामूहिक सोच में माानवाधिकार की दृष्टि को आत्मसात करने की आवश्यकता है। गरीब लोगों के जीवन में सच्चे अर्थों में महत्वपूर्ण बदलाव तभी आएंगे, जब सरकारों को रुक कर यह नहीं कहना होगा कि ''आओ, अब मानवाधिकारों की बात करें'', बल्कि यह सामान्य घटनाक्रम के तहत स्वयं घटित होगा। सरकारों को हमेशा मानवाधिकारों का खयाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यह उनका मुख्य राजनीतिक सरोकार है।

नागरिक समाज की भूमिका

राष्ट्रमंडल देशों में नागरिक समाज को मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हालांकि मानवाधिकारों का आश्वासन अभी पूरा नहीं हो पाया है और इसका ढांचा अभी पूरी तरह कारगर नहीं है, लेकिन नागरिक समाज को इस ढांचे में रिक्तियों को भरने के लिए कार्य करना चाहिए और अधिकारसंपन्न लोगों तथा कर्तव्यधारकों के बीच की खाई को पाटना चाहिए।

नागरिक समाज के कई समूह गरीबों और कम शक्तिशाली लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के प्रयासों में अग्रणी हैं। फिर भी, नागरिक समाज के ऐसे समूह जो मानवीय कल्याण संबधी या विकास संबंधी मुद्दों पर कार्य करते हैं, अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं। अगर वे जानते भी हैं, तो भी वे अपनी कार्यसूची पर अमल के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण नहीं अपनाते। अधिकारों को बार–बार न्यायिक प्रक्रिया के समकक्ष रखकर और अक्सर न्याय उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता से असंतुष्ट होकर ऐसे समूह अधिकारों की धारणा का विरोध करते हैं। उन्हें इस संदेह से ऊपर उठना होगा कि मानवाधिकार केवल एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका संबंध एक ऐसी संस्था अर्थात न्यायिक व्यवसाय से है जो विश्वसनीय नहीं है। एक तरह से उन्हें कानून के दायरे से निकाल कर मानवाधिकारों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए और अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की क्षमता को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें इस बात का भी अहसास होना चाहिए कि उन्होंने जो मानवीय पीड़ा देखी है, वह न सिर्फ नैतिक दृष्टि से अस्वीकार्य है, बल्कि कानूनी तौर पर भी उचित ठहराने योग्य नहीं है और सार्वजनिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने वालों को नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं तथा पीड़ितों को मुआवज़ा अदा करना पड़ सकता है।

ऐसी कई चीजें हैं जो नागरिक समाज मानवाधिकारों के संरक्षण और गरीबों के कल्याण की नीतियां अपनाने व उन पर अमल करने के लिए कर सकता है। पहला, इनसे मानवाधिकार के मुद्दे पर आम राय कायम करने में मदद मिलती है और बाद में इनसे मानवाधिकारों संबंधी मानदंडों की व्याख्या में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, उत्पीड़न के विरूद्ध तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार के समझौते और मूलनिवासियों के बारे में घोषणापत्र का प्रारूप आदि के बनाने में काफी हद तक गैर–सरकारी संगठनों का योगदान रहा है। उनके हस्तक्षेप के बिना ऐच्छिक करारों को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल से संभव होता।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि नागरिक समाज अधिकारों के लिए उन लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराए जिन्हें यह दायित्व सौंपा गया है। एक बार मानदंडों पर सहमति हो जाती है, तो वे इन पर अमल करने के कर्तव्यधारकों के प्रयासों पर नज़र रख सकते हैं। नागरिक समाज के समूह नियमित रूप से वैकल्पिक रिपोर्ट (alternative report) तैयार करते हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र की संधियों की निगरानी करने वाले संगठनों, जैसे सी ई एस सी आर को भेजते हैं। वे संबंधित विशेष निरीक्षकों को रिपोर्ट संकलित करने और इस बारे में अनुसंधान करने में भी मदद करते हैं। वे अपने देश का वैकल्पिक बजट भी तैयार करते हैं। इसमें सामाजिक खर्च के विवरण के साथ–साथ यह भी बताया जाता है कि सरकारें सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण तथा मानवाधिकारों संबंधी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने वाला बजट कैसे तैयार कर सकती हैं। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में वे सी एम ए जी को अपनी रपट भेज सकते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रमंडल शासनों के मानवाधिकार संबंधी रिकार्ड की स्थिति दर्शाई जाती है।

नागरिक समाज के संगठन अपने अभियानों के लिए जनमत जुटाने के साथ, लोगों को भी अपने से जोड़ सकते हैं। चाहे देश में हो या विदेश में, सबसे सफल सामाजिक आंदोलन अपने अभियान में मानवाधिकारों की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और न्याय व सुधार के

e:\chri-talisman report\final files\p89 to end.pmd

लिए जनसमर्थन जुटाते हैं। अधिकारों के दावों ने विरोध का रूप लिया है और सत्ता को चुनौती दी है। जब तक अधिकारों का एक कार्य कमज़ोर वर्गों को अधिकार संपन्न बनाना है, इसके लिए जनसमर्थन जुटाना अत्यंत आवश्यक है। इससे उपेक्षित और वंचित लोगों को एक आवाज मिल जाती है और उनकी सहभागिता में बढ़ोतरी होती है। मानवाधिकारों ने उन्हें बदलाव का कारगर माध्यम बना दिया है। कारगर तरीके से जागरूकता बढ़ाने से मानवाधिकार आंदोलनकर्ताओं की संख्या भी कई गुना बढ़ जाती है और वास्तविक अर्थों में विकासमान एक ऐसे जनांदोलन को बढ़ावा मिलता है जिसके जरिये हमारे समाज में अधिकारों को गहरी जड़ें जमाने में मदद मिलती है।

विश्व स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और विषयवस्तु के स्तर पर एक नेटवर्क तैयार करने में मानवाधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। अधिकारों की विश्वव्यापी भाषा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले आंदोलनकर्ताओं के बीच संवाद के एक सामान्य माध्यम का सृजन करती है। इससे बहुत छोटे–छोटे समूह भी आंदोलनकर्ताओं की बड़ी दुनिया से जुड़ सकते हैं। महिलाएं और पर्यावरण के लिए आंदोलन करने वाले नेटवर्क बनाने में विशेष रूप से सफल रहे हैं।

नागरिक समाज के सरकार के साथ हमेशा अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोगी के रूप में तो सरकारें उनसे खुश रहती हैं, मगर अधिकारों की मांग करने वालों या उनका पक्ष समर्थन करने वाले संगठनों से हमेशा सतर्कता बरतते हुए उन पर पाबंदियां लगाने की फिराक में रहती हैं।

वे इन समूहों को तिरस्कारपूर्वक 'मानवाधिकार उद्योग' की संज्ञा देकर अक्सर उन पर अपने निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही हैं। उनका यह भी आरोप है कि ये समूह अधिकारों को लागू करने में उत्पादन और वितरण की तरह का व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनकी वचनबद्धता अधिकारों के संरक्षण नहीं बल्कि अपने–अपने संगठनों और व्यवस्था में इन संगठनों का और अधिक दबदबा बनाने के प्रति है।[330] लेकिन इस तरह के निंदापूर्ण दृष्टिकोण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवाधिकार आंदोलन संकुचित हुआ है और अफसरशाही तथा श्रेणीबद्धता जैसी दोषों से दूषित हो गया है।[331] इस दृष्टि से इसका दायरा सीमित हुआ है। इन संगठनों को स्थिति का जायजा लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अपने ढांचे तथा उनकी संस्थागत प्रक्रिया में मानवाधिकारों का समावेश हो। अधिकतर संगठन मानवाधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर सामजिक जनांदोलन छेड़ने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं और पैरवी तथा हिमायत करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मानवाधिकारों के ढांचे के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकेगा जब इसे लोगों तक पहुंचाया जाए। लोगों को इस बात का अहसास कराया जाना चाहिए कि उनका दमन मानवाधिकारों के उल्लंघन से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। संगठित होकर वे अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं और अपने संगठनों व कार्यसूची को उनपर आधारित कर सकते हैं।

वित्तीय विकास : मॉन्टेरे सहमति– संक्षेप में

वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने मैक्सिको के मॉन्टेरे में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया। इसमें राज्य व सरकार के प्रमुख, मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं व्यापार संस्थाओं के प्रतिनिधि, नागरिक समाज व निजी क्षेत्र के प्रमुख शामिल हुए। सम्मेलन में गरीब देशों में विकास के वित्तपोषण के बारे में भागीदारी द्वारा एक आम राय अपनायी गयी।[332] जबकि सुशासन व संस्थागत सुधार के साथ–साथ गरीबी को कम करने और विकास के लिए उपाय करने व रणनीतियों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर होगी, अमीर देश और दानदाता ओ डी ए को अपने सकल घरेलु उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के संस्तुत स्तर तक बढ़ायेंगे। और वे एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल तैयार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होंगे जहाँ विकसित देशों के बाज़ार तक पहुँचने के मार्ग में विकासशील देशों के निर्यातों में आने वाली बाधाओं को हटा दिया जायेगा। विकसित देश व प्रमुख बहुपक्षीय कर्ज़दाता संस्थान विकासशील देशों में आर्थिक व प्रशासनिक सुधार से संबंधित वित्तीय और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर राज़ी हो गए। विकसित व विकासशील देशों की इस साझेदारी को 2000 में घोषित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जा रहा है।

सभी देशों ने गरीबी के उन्मूलन (न केवल उसके स्तर में कमी) को अपना प्रमुख लक्ष्य माना है तथा पूर्णतः मुक्त एवं न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लिए संपोषणीय आर्थिक वृद्धि व विकास हासिल करने के लिए, वे एक साथ काम करने के लिए राज़ी हुए। यह सर्वानुमति दस्तावेज़ विकास के अधिकार, सुशासन, लिंग समानता सहित मानवाधिकारों के प्रति सम्मान और कानून के शासन को देश की नीति के माहौल के आवश्यक विशेषताओं के रूप में मानता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में 'विकास–वित्तपोषण कार्यालय' (Financing for Development Office) स्थापित किया गया है जो मॉन्टेरे सहमति के कार्यान्वयन पर नज़र रखेगा।